एमएनएच शक्ति लिमिटेड
(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की सहायक कंपनी)

सतत रूप से विकसित भारत की ओर अग्रसर

5

वर्षों का जश्न

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा 2024-25

विषय-सूची

क्र.	विषय	पृष्ठा
1.	कंपनी की जानकारी	2
2.	सूचना	3-4
3.	निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	5-8
4.	सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	9-19
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	20-21
6.	वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय विवरणी	22-84

कंपनी की जानकारी

निदेशक मंडल: 31.03.3025 तक

श्री ज. क. बोराह (DIN: 09632444) चेयरमैन

श्रीमती मैथिली आचरेकर (DIN: 09496531) निदेशक

श्री. ए.के. पांडे (DIN: 10152192) निदेशक

श्री डी. सी. कुआडू (DIN: 11133712) निदेशक

श्री. एस. सी. सुमन (DIN: 09549424) निदेशक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री आर. के. जैन

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री बी नायक

कंपनी सचिव

श्री एम. के. तिवारी

वैधानिक लेखा परीक्षक

M/s एसएबीडी एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स केसिंगा, ओडिशा

बैंकर्स:

भारतीय स्टेट बैंक, एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020

यूको बैंक जागृति विहार शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020

एक्सिस बैंकलिमिटेड, आर.आर. मॉल, अशोका टॉकीज रोड, वी.एस.एस. मार्ग, संबलपुर-768001

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा बाजार कोलकाता, गोले बाजार, संबलपुर-768001

एचडीएफसी बैंक, टंकपानी रोड, भुवनेश्वर

पंजीकृत कार्यालय:

आनंद विहार, डाकघर-जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर, ओडिशा-768020

सूचना
17 वीं वार्षिक आम बैठक

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 17वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 को शाम 04.00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, आनंद विहार, डाकघर - जागृति विहार, संबलपुर, उड़ीसा, 768020 में वीसी/अन्य ओवीएएम के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य:

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की लेखा परीक्षा तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और उन पर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना और निम्नलिखित प्रस्ताव को, संशोधन के साथ या बिना, साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

   "संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम - 2013 की धारा 142 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते एमएनएच शक्ति लिमिटेड

(एम.के तिवारी)
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:

आनंद विहार, डाक: जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर – 768020

टिप्पणी:

1. 1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022, दिनांक 5 मई, 2022; सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, 2020; सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और 13 जनवरी '2021 को क्रमशः कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। भारत सरकार (इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या वर्तमान में लागू पुनः अधिनियमन सहित) और अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, एमएनएच शक्ति लिमिटेड के सचिवीय लेखा परीक्षक सहित शेयरधारक, निदेशक और लेखा परीक्षक बैठक में भाग लेने और/या मतदान करने के हकदार हैं। वे बैठक में विचार किए गए मुद्दों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से भी बैठक में भाग ले सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें csmnhshaktiltd@gmail.com पर ईमेल भेजना होगा। सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वी.सी. या ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए, कंपनियों के अधिकृत मेल आईडी से पहले से ही लिंक प्रदान किया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद तक नहीं की जाएगी।
2. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार अल्प अवधि की सूचना पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।
3. सूचना और उसके अनुलग्नक में उल्लिखित सभी दस्तावेज तथा अन्य अनिवार्य रजिस्टर/दस्तावेज 17वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि से पहले सभी कार्य दिवसों में कार्यावधि के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए खुले हैं।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 171(1)(ख) और 189(4) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की प्रत्येक वार्षिक आम बैठक में निरीक्षण के लिए खुले रखे जाने वाले रजिस्टर, बैठक के दौरान बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ होंगे।

सदस्यगण :

1. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर- 768020.(ध्यानाकर्षण : कंपनी सचिव, एमसीएल) ।
2. एनएलसी इंडिया लिमिटेड (नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड), नेवेली हाउस नंबर 13 जे, पेरियार ईवीआर हाई रोड, किल्पौक, चेन्नई-600010 (ध्यानाकर्षण : कंपनी सचिव, एनएलसी)।
3. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेंचुरी भवन, तीसरी मंजिल, डॉ. एनी बेसेंट रोड, वर्ली मुंबई-400025 (ध्यानाकर्षण : कंपनी सचिव, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड)।

लेखापरीक्षकगण :

1. एसएबीडी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, केसिंगा, ओडिशा।

2. महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोल), ओल्ड निजाम प्लेस, 234/4 आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता – 700 020।

निदेशकगण:

1. 1. सभी निदेशकगण, एमएनएच शक्ति लिमिटेड बोर्ड।

एमएनएच शक्ति लिमिटेड

निदेशकों का प्रतिवेदन
सेवा में
शेयरधारकगण
एमएनएच शक्ति लिमिटेड

प्रिय सदस्यगण,

एमएनएच शक्ति लिमिटेड की 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी की अनुभूति हो रही है। मैं आपकी कंपनी की 17वीं वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत कर रहा हूं।

24 सितम्बर 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 204 कोयला खदानों के आवंटन को रद्द कर दिया। तलाबीरा द्वितीय एवं तृतीय कोयला खदान, जो इन 204 खदानों का हिस्सा थी, का आवंटन भी रद्द कर दिया गया।

कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार ने तलाबीरा–II एवं III कोयला खदान को नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जो कि पूर्ववर्ती आवंटियों में से एक है) को आवंटित किया, जिसकी सूचना पत्र दिनांक 17 फरवरी 2016 के माध्यम से दी गई। कंपनी को नामित प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय के माध्यम से नए आवंटी से भूमि अधिग्रहण, पूंजीगत कार्य प्रगति तथा अमूर्त संपत्तियों पर किए गए व्यय की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार रखती है। नामित प्राधिकरण द्वारा फरवरी 2017 में तलाबीरा – II एवं III कोयला खदान के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्टों की लागत, सहमतियों तथा खदान अवसंरचना की लागत के लिए मुआवज़ा राशि हस्तांतरित कर दी है।

हालाँकि, एमएनएच शक्ति लिमिटेड, गैर-वनीय सरकारी भूमि के लिए राज्य सरकार को 26.10 करोड़ रुपये के भुगतान हेतु मुआवज़ा पाने का हकदार है। भूमि के मूल्यांकन हेतु मुआवज़े का भुगतान नामित प्राधिकारी के पास प्रक्रियाधीन है।

पूंजीगत संरचनाः

कंपनी का 31.03.2025 को इक्विटी शेयर पूंजी रूपए 10,000.00 लाख है और जारी तथा सब्सक्राइब्ड इक्विटी पूंजी रु.3510.00 लाख है, जिसे कंपनी के शेयरधारकों ने अंशदान स्वरूप प्रदान की है, जिसका विवरण निम्नलिखित हैं :-

(रु. लाख में)

शेयरधारकों के नाम	राशि
महानदी कोलफील्ड्सर लिमिटेड	2457.00
हिंडाल्को इंडस्ट्रीडज लिमिटेड	526.50
हिंडाल्को इंडस्ट्रीडज लिमिटेड	526.50

वित्तीय समीक्षा

कंपनी द्वारा तलाबीरा IIऔर तलाबीरा III की खदानों को हटा दिया गया था। अतः कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुसार, अवधि के दौरान किए गए सभी व्यय को समीक्षाधीन अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया गया। लेखा के मुख्य वित्तीय आंकड़े निम्नानुसार हैः-.

31 मार्च, 2025 के अनुसार तुलनपत्र मद

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
1	अधिकृत शेयर पूंजी	10000.00	10000.00
2	प्रदत्त शेयर पूंजी	3510.00	3510.00
3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	0.61	0.61
4	नगद तथा नगद के समकक्ष (जमा सहित)	1917.21	1851.52
5	चालू परिसंपत्ति (नगद तथा नगद के समकक्ष को छोड़कर)	2688.91	2643.27
6	चालू देयताएँ	235.29	195.81

लाभ एवं हानि के विवरण का सार

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को
1	अन्य आय	128.56	216.11
2	अन्य व्यय	33.08	47.02
3	मूल्यह्रास	-	0.15
4	कर पूर्व लाभ	95.48	168.94
5	कर व्यय	24.03	42.52
6	कर पश्चात लाभ	71.45	126.42
7	ईपीएस (रु.)	0.20	0.36

जोखिम प्रबंधन:

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी में विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आकलन एवं नियंत्रण हेतु पारम्परिक, आंतरिक एवं बाहरी जोखिमों पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किए है, भू-अधिग्रहण, वन अनुमति एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिन पर प्रबंधन द्वारा लगातार नजर रखी जाती है।

संबंधित पार्टी लेनदेन:

कंपनी द्वारा प्रवर्तकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या अन्य नामित व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण रूप से पार्टी संबंधित लेन-देन नहीं किया जाता है, जिसमें कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकता है।

निगरानी तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति:

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की सारी गतिविधियों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुले है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति: लागू नहीं

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व: लागू नहीं

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय: शून्य

लाभांश:

निदेशक मंडल ने वर्ष 2024-25 के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।.

जमा:

कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियिम,2013 की धारा 139 के अंतर्गत निम्निलिखित लेखापरीक्षा फर्म को वर्ष 2024-25 के लेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया:-

मेसर्स एसएबीडी एंड एसोसिएट्स,

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

केसिंगा, ओडिशा

निदेशक मंडल:

निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट की अवधि में कंपनी के निदेशक थे :

श्री जे. के. बोरा (डीआईएन: 09632444)	अध्यक्ष	(16.09.2022 से प्रभावी)
श्री ए. के. सिंह (डीआईएन: 09501892)	निदेशक	(16.01.2022 से प्रभावी)
श्री एस. सी. सुमन (डीआईएन: 09549424)	निदेशक	(20.07.2022 से प्रभावी)
श्री एम. पी. दरगर (डीआईएन: 10597656)	निदेशक	(31.10.2024 तक)
श्रीमती जी. आर. आनंद (डीआईएन: 08055635)	निदेशक	(17.10.2024 तक)
श्रीमती मैथिली एस आचरेकर (DIN: 09496531)	निदेशक	(17.10.2024 से)

बोर्ड की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड की तीन बैठकें आयोजित की गई थी। बोर्ड की बैठक का विवरण अवधि के साथ नीचे दिया जा रहा है :

बैठक संख्या	बैठक की तिथि	बैठक आयोजन स्थल
66th वीं	12.04.2024	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
67th वीं	12.07.2024	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
68th वीं	07.10.2024	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर
69th वीं	25.10.2024	मेफेयर ओएसिस रिज़ॉर्ट एंड कन्वेंशन, झारसुगुड़ा
70th वीं	09.10.2025	एमसीएल कार्यालय, संबलपुर

निदेशको की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ बोर्ड की संरचना का विवरण :-

निदेशकों के नाम	श्रेणी	बोर्ड बैठकें	
		अवधि में हुई बैठक	उपस्थित हुए
श्री जे.के. बोरा (डीआईएन: 09632444)	गैर-कार्यशासक	5	5
श्री एम. पी. दरगर (डीआईएन: 10597656)	गैर-कार्यशासक	4	4
श्री ए. के. सिंह (डीआईएन: 09501892)	गैर-कार्यशासक	5	5
श्री. एस. सी. सुमन (डीआईएन: 09549424)	गैर-कार्यशासक	5	1
श्रीमती जी. आर. आनंद (डीआईएन:: 08055635)	गैर-कार्यशासक	3	0
सुश्री मैथिली एस आचरेकर (डीआईएन: 09496531)	गैर-कार्यशासक	2	0

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के आवश्यकतानुसार माननीय सभी निदेशकों के दायित्वपूर्ण वक्तव्यों की पुष्टि-

1. 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में सामग्री निर्गत संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों (लेखा टिप्पणियों के खुलासे के अलावा) का अनुसरण किया गया है।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया है, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि का सही तथा उचित जानकारी दी जा सके।
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा रोकथाम करने हेतु इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।
4. निदेशकों ने दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा को 'गोइंग कंसर्न' के आधार पर तैयार किया है।
5. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह के प्रणाली पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रही थी।

कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में सूचना कंपनी नियमावली 2014 के तहत अनुभाग 197 के साथ नियम 5 को भी (नियुक्ति तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों का वेतन) पढ़े जाने के अनुरोध पर प्रदान की जायेगी।

बैंकों का नाम तथा पता :

क्र.	नाम	शाखा का पता
1	भारतीय स्टेट बैंक	एमसीएल कॉम्प्लेक्स शाखा, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर- 768020
2	यूको बैंक	जागृति विहार शाखा (कोड 1890) जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर-768020
3	एक्सिस बैंक लिमिटेड	आर.आर.मॉल, अशोका टॉकीज रोड, वी.एस.एस.मार्ग, संबलपुर- 768001
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	कोलकाता बाजार के बगल में, गोल बाजार, संबलपुर- 768001
5	एचडीएफ़सी बैंक	टंकापानी रोड, भुवनेश्वर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां:

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इसके साथ संलग्न हैं।.

लेखापरीक्षक रिपोर्ट :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ अवलोकित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को पढ़ा जाये जो कि स्वतः स्पष्ट है अतः इस पर आगे किसी भी तरह की टिप्पणी आवश्यक नहीं है।

आभार

आपके निदेशकगण कंपनी के विकास के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल द्वारा दिए गए बहुमूल्य निर्देशन, सहयोग तथा सुझाव के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशकगण समय-समय पर प्रदान की गई सहायता एवं सहयोग के लिए स्थानीय प्रशासन के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय और कंपनी रजिस्ट्रार, ओडिशा के कार्यालय, लेखापरीक्षकों, अधिकारियों और महानिदेशालय (कोयला), कोलकाता के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना करते हैं।

परिशिष्ट:

निम्नलिखित कागजात संलग्न है : -

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139के अंतर्गत नियुक्त किये गये सांवधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। (अनुलग्नक-I)
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत नियुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी। (अनुलग्नक-II)

दिनांक: 09.04.2025
स्थान: संबलपुर

(जे.के. बोरा)
डीआईएन: 09632444
अध्यक्ष, एमएनएच शक्ति लिमिटेड

अनुलग्नक -1

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

एमएनएच शक्ति लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने एमएनएच शक्ति लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2025 तक की तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के टिप्पणी शामिल हैं (जिन्हें आगे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तन तथा उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

मत के आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (0) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में विस्तार से वर्णित हैं। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और कंपनी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक स्वतंत्रता आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय को पुष्ट करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, प्रमुख लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक भी शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस अन्य जानकारी में एक महत्वपूर्ण त्रुटि है: हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (इंड एएस) शामिल हैं, इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है: उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग: उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना: और पर्याप्त

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते थे और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त थे।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।.

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण ग़लतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि धारा 143 (0) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानक के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण हमेशा किसी महत्वपूर्ण ग़लतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। ग़लतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं कि:

- वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और आकलन करें, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और कार्यान्वित करें, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी से उत्पन्न महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलत विवरण की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।.

लेखांकन के लिए प्रबंधन द्वारा चालू व्यवसाय के आधार का उपयोग करने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय संशोधित करनी होगी। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले समझे जाते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन उस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करे या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संप्रेषण के जनहित लाभों से कहीं अधिक होने की संभावना है।

.

अन्य मामले

हमने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए वित्तीय विवरणों पर संबलपुर में दिनांक 09.04.2025 को एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (मूल रिपोर्ट) जारी की थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसरण में, हमने उक्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया है।

यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट मूल रिपोर्ट का स्थान लेती है, जिसे अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक 1 की क्रम संख्या (iii), (iv), (vii) और (xix) के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से संशोधित किया गया है। मूल रिपोर्ट की तिथि के बाद की घटनाओं पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया केवल इस अनुच्छेद में उल्लिखित मद में किए गए संशोधन तक ही सीमित है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (01) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक-1" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं, जो कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर है, जैसा कि हमने उचित समझा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर "अनुलग्नक-2" में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार है।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

i. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ii. हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही कंपनी द्वारा रखी गई है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

iii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए बनाए गए प्रासंगिक खाता पुस्तकों के अनुरूप हैं।

iv. हमारी राय में, उपर्युक्त इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2021 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

v. हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है।

vi. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक-3" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

vii. अधिनियम की धारा 1970 (6) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमें सूचित किया जाता है कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है।

viii. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा प्रदान करेगा।

ix. प्रबंधन ने यह प्रतिवेदन दिया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) से, जिसमें विदेशी संस्थाएँ ("निधिकरण पक्ष") शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है, इस सहमति के साथ कि कंपनी, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी रूप में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करेगी: और

x. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (1) और (2) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत कथन शामिल है।

xi. वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति; लागू नहीं

xii. एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण; लागू नहीं।

xiii. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

क. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है जो उसके भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

ख. जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी भौतिक हानि की आशंका नहीं जताई है, इसलिए इस खाते पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ग. कंपनी को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के अंतर्गत अपेक्षित है, निधि में कोई राशि हस्तांतरित करने में विलंब नहीं होता है।

घ. जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन का प्रश्न ही नहीं उठता।

xiv. हमारी जाँच, जिसमें नमूना जाँच भी शामिल है, के आधार पर, कंपनी ने अपने लेखा-बही के रखरखाव के लिए एक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित रहा है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा रिकॉर्ड रखरखाव की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित रखा गया है।

दिनांक: 15.05.2025

स्थान: केसिंगा

यूडीआईएन: 25505314BMINPW1196

एसएबीडी एवं एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट

FRN-020830N

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर एमएनएच शक्ति लिमिटेड के सदस्यों को आज तक की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 1 में संदर्भित विवरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) (i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

क) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई तथा हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए कोई स्वामित्व विलेख नहीं है।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ङ) वर्ष के दौरान कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2025 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ii) क) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ख) कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।.

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, प्रदान नहीं किया है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(iv) कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित, के रूप में कोई अग्रिम नहीं दिया है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(vi) कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है और इसलिए आदेश के 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vii) वैधानिक बकाया के संबंध में:

क) हमारी राय में, कंपनी आम तौर पर उचित प्राधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, उपकर और अन्य लागू वैधानिक बकाया शामिल हैं।

क्रम संख्या	संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (लाखों रुपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह मंच जहाँ विवाद लंबित है
1	आयकर अधिनियम	आयकर	336.43	2011-12,2012-13, 2013-14	सीआईटी (ए), संबलपुर

उपरोक्त विवादित बकाया राशि में से, निम्नलिखित बकाया राशि को वित्तीय वर्ष 2023-24 में डीआईएन/आदेश संख्या और दिनांक के माध्यम से आंशिक रूप से चुकाया गया:-

1. एफवाई 2012-13-DI N/Order No-ITBA/NFAC/250/2022-23/1047996202(1) दी गई तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार.
2. एफवाई 2013-14- DIN/Order No.-ITBNNFAC/S/250/2022-23/1048488535 (1)) दिनांक 06.01.2023

ख) वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए लंबित टीडीएस सहित आयकर के विरुद्ध कुल जमा राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जुलाई, 2023 के महीने में रु. 3,45,75,574.00 ब्याज सहित निम्नानुसार प्राप्त हुई:

क्रमांक	वर्ष	टीडीएस	पूर्व जमा	ब्याज	कुल राशि
1	एवाई 2013-14	37,57,670.00	1,48,74,190.00	87,64,474.00	2,73,96,334.00
2	एवाई 2014-15	33,70,781.00	13,94,000.00	24,14,459.00	71,79,240.00
कुल		**1,13,32,161.00**	**2,57,47,000.00**	**1,11,78,933.00**	**3,45,75,574.00**

ग) 31 मार्च, 2025 तक आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर और स्वच्छ ऊर्जा उपकर के संबंध में विवादित बकाया राशि का शेष विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रमांक	संविधि का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (रु. में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह मंच जहाँ विवाद लंबित है
1	आयकर अधिनियम	आयकर	1,81,73,140.00	2011-12	सीआईटी (ए), संबलपुर

उपरोक्त में से 1,82,52,086.00 रुपये की राशि आयकर के विरुद्ध विरोध स्वरूप जमा की गई है तथा टीडीएस को मांग के विरुद्ध समायोजित किया गया है।

ii) इसके अलावा, अंतिम आदेश संख्या 75689/2021 के विरुद्ध वित्त वर्ष 21-22 में पहले ही प्राप्त विरोध स्वरूप सेवा कर के विरुद्ध 20.87 लाख रुपये की राशि जमा की जा चुकी है।

iii) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं हुआ जिसे आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो। 1.

iv) क. कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ख. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई बकाया सावधि ऋण नहीं है और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

घ. कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ङ. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चला है कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

च. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(ij) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

v क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi) क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 02 के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2021 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

ग) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जबकि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण किया गया है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) कंपनी एक केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम है और संबंधित पक्ष लेनदेन करती है, जिसने भारतीय लेखा मानक 24 के पैराग्राफ 26 के तहत आवश्यक प्रासंगिक विवरणों का खुलासा किया है।

लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी को जनशक्ति लागत के हिस्से के रूप में 14.48 लाख रुपये का भुगतान किया गया तथा बकाया चालू खाते पर ब्याज 224.64 लाख रुपये [कुल 239.12 लाख रुपये]

(xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड {xiv)(क) और (xiv){ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड {xv) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड 3(xvi)(क), (ख), (ग) और (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है। हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष के दौरान और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा किए गए परिचालन-पूर्व व्ययों के कारण कंपनी को नकद हानि हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने पर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

(xx) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(क) और (ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

दिनांक: 15.05.2025

स्थान: केसिंगा

यूडीआईएन: 25505314BMINPW1196

एसएबीडी एवं एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट

FRN-020830N

ह/-

सीए बसंत गोयल

पार्टनर

MNo. 505314

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक •2
एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वर्ष 2024•25 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के निर्देशानुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों को रिपोर्ट

क्रमांक	विवरण	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।	हाँ, कंपनी के खाते टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में रखे जाते हैं, जहाँ सभी डेटा मैन्युअल रूप से फीड किए जाते हैं। वर्ष के दौरान कंपनी में कोई विनिर्माण या अन्य कोई कार्य नहीं हुआ ।
2	क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन हुआ है या कंपनी की ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले सामने आए हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋण देने वाली कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)	हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि का कोई पुनर्गठन/ माफी/बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई नहीं की गई है। कंपनी ने अपनी मूल कंपनी के ऋण के अलावा कोई अन्य ऋण नहीं लिया था।
3	क्या केंद्र/राज्य या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उचित लेखा-जोखा रखा गया या उसकी शर्तों के अनुसार उसका उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को केन्द्र/ राज्य या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

दिनांक: 15.05.2025

स्थान: केसिंगा

यूडीआईएन: 25505314BMINPW1196

एसएबीडी एवं एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट

FRN-020830N

ह/-

सीए बसंत गोयल

पार्टनर

MNo. 505314

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-3

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक एमएनएच शक्ति लिमिटेड {'कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का लेखा-परीक्षण किया है, जो कि समाप्त वर्ष और आज की तारीख तक कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण के साथ संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है। इन ज़िम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक कंपनी की नीतियों के पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समय पर तैयार करने सहित, कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने अपनी ऑडिट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143{10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले ऑडिटिंग मानकों के अनुसार की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमज़ोरी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ, सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं।कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें मिलीभगत या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं चल पाता। साथ ही, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री कम हो सकती है।

मत

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

दिनांक:15.05.2025

स्थान : केसिंगा

यूडीआईएन: 25505314BMINPW1196

एसएबीडी एवं एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट

FRN-020830N

ह/-

सीए बसंत गोयल

पार्टनर

MNo. 505314

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों/उप-निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के खातों का ऑडिट किया है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

दिनांक:15.05.2025

स्थान : केसिंगा

यूडीआईएन: 25505314BMINPW1196

एसएबीडी एवं एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट

FRN-020830N

ह/-

सीए बसंत गोयल

पार्टनर

MNo. 505314

31 मार्च, 2025को समाप्त0 वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेड के वित्तीय लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पयणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीजय प्रतिवेदन की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2025को समाप्त0 वर्ष के लिए एमएनएच शक्ति लिमिटेडके वित्तीकय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्त रदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143, धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा 15 मई,2025 को की गई लेखा परीक्षा में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने,भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक परीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत एमएनएच शक्ति लिमिटेडके दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्ता वर्ष के वित्ती)य विवरण का पूरक लेखा परीक्षण न करने का निर्णय किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों के मद्देनजर, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा अवलोकनों को प्रभावी बनाने के लिए, धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में मुझे और कुछ जोड़ने या कहने की आवश्यकता नहीं है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ताख/-
(यशोधरा राय चौधरी)
महानिदेशकएवं एडीएआई
कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 28मई, 2025

31 मार्च 2025 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

तुलना पत्र		टिप्पणी सं.	पर जैसा 31.03.2025	31.03.2024
परिसंपत्तियाँ				
गैर- चालू परिसंपत्तियाँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		3.1	0.61	0.61
पूंजीगत कार्य प्रगति		3.2	-	-
अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ		3.3	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ		3.4	-	-
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ		3.5	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियाँ	निवेश	4.1	-	-
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	-	-
स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		11.2	-	-
गैर - चालू कर परिसंपत्तियाँ		11.1	-	-
अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ		6.1	-	-
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ			**0.61**	**0.61**
चालू परिसंपत्तियाँ				
वस्तु सूची		5.1	-	-
वित्तीय परिसंपत्ति	निवेश	4.1	-	-
	व्यापार प्राप्य	4.3	-	-
	नकद एवं नकद समकक्ष	4.4	1,917.21	1,851.52
	अन्य बैंक शेष	4.5	-	-
	ऋण	4.2	-	-
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	2,482.72	2,480.70
चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		11.1	111.40	67.78
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		6.2	94.79	94.79
कुल चालू परिसंपत्तियाँ			**4,606.12**	**4,494.79**
कुल परिसंपत्तियाँ			**4,606.73**	**4,495.40**
इक्विटी एवं देयताएँ				
इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी		7.1	3,510.00	3,510.00
अन्य इक्विटी		7.2	861.04	789.59
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण जिम्मेदार इक्विटी			**4,371.04**	**4,299.59**
गैर नियंत्रित ब्याज		7.3	-	-
कुल इक्विटी			**4,371.04**	**4,299.59**
देयताएँ				
गैर-चालू देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ	उधार	8.1	-	-
	पट्टा देयताएं	8.2	-	-
	अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	-	-
प्रावधान		9.1	-	-
अस्थगित कर देयताएं (निवल)		11.2	-	-
अन्य गैर-चालू देयताएं		10.1	-	-
कुल गैर-चालू देयताएँ			-	-

चालू देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ	उधार	8.1	-	-
	पट्टा देयताएं	8.2	-	-
	व्यापार देय	8.3		
	सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
	सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
	अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	235.29	195.51
अन्य चालू देयताएँ		10.2	0.40	0.30
प्रावधान		9.1	-	-
अन्य चालू देयताएं		11.1	-	-
कुल चालू देयताएँ			**235.69**	**195.81**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ			**4,606.73**	**4,495.40**

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(आर.के.जैन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(जे के बोराह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स एसएबीडी एंड एसोसिएट के और ओर से
सनदी लेखाकार

दिनांक: 09.04.2025
स्थान: संबलपुर

सीए बसंत गोयल
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 505314)
फर्म पंजीकरण संख्या - 020830 न

31 मार्च 2025 के अनुसार तुलन-पत्र

(₹ लाख में)

	नोट नं.	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन से राजस्व			
विक्रय	12.1	-	-
अन्य प्रचालन राजस्व	12.1	-	-
प्रचालन से राजस्व		-	-
अन्य आय	12.2	128.56	216.11
कुल आय		**128.56**	**216.11**
व्यय			
खपत की गई सामग्री की लागत	13.1	-	-
व्यापार में स्टॉक की खरीद	13.1(a)	-	-
निर्मित माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन /कार्य में प्रगति एवं व्यापार में स्टॉक	13.2	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	14.48	32.55
वित्त लागत	13.4	14.61	10.92
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि व्यय	13.5	-	0.15
बट्टे खाते में डालना	13.6	-	-
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	13.7	-	-
अन्य व्यय	13.8	3.99	3.55
कुल व्यय		**33.08**	**47.17**
संयुक्त उद्यम के शेयर से पूर्व लाभ/हानि		**95.48**	**168.94**
संयुक्त उद्यम के शेयर लाभ/ हानि		-	-
असाधारण वस्तुएँ		**95.48**	**168.94**
कर पूर्व लाभ			
कर व्यय	14.1	24.03	42.52
चालू कर		-	-
आस्थगित कर		**24.03**	**42.52**
कुल कर व्यय		**71.45**	**126.42**
अवधि के लिए लाभ	15.1		
अन्य व्यापक आय			
मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुन: वर्गीकृत किया जायेगा।		-	-
कुल अन्य व्यापक आय		-	-
"अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल)"		**71.45**	**126.42**
लाभ के लिए जिम्मेदार :			
कंपनी के स्वामित्व		71.45	126.42
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		71.45	126.42
अन्य व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामित्व		-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		-	-
कुल व्यापक आय के कारण :			
कंपनी के स्वामित्व		71.45	126.42
गैर-नियंत्रित ब्याज		-	-
		71.45	126.42

प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक): (वित्त वर्ष और पिछली अवधि के लिए पुनः घोषित)		
मौलिक	0.20	0.36
मंदित	0.20	0.36

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(आर.के.जैन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(जे के बोराह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स एसएबीडी एंड एसोसिएट के और ओर से
सनदी लेखाकार

दिनांक: 09.04.2025
स्थान: संबलपुर

सीए बसंत गोयल
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 505314)
फर्म पंजीकरण संख्या - 020830 न

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

		31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर-पूर्व लाभ		95.48	168.94
निम्नलिखित के लिए समायोजन:			
संयुक्त उद्यम का हिस्सा		-	-
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि व्यय		-	0.15
ब्याज और लाभांश आय		(128.56)	(104.32)
वित्तीय लागत		14.61	10.92
(लाभ)/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि		-	-
देयता और प्रावधान (शुद्ध)		-	-
व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता		-	-
अन्य भत्ते और राइट-ऑफ		-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		-	-
विदेशी मुद्रा दर भिन्नता		-	-
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**(18.47)**	**75.69**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:			
व्यापारिक प्राप्य		-	-
इन्वेंट्री		-	-
ऋण और अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ		-	162.68
वित्तीय और अन्य देयताएँ		(39.88)	46.34
व्यापार देय		-	-
परिचालन से उत्पन्न नकदी		**(21.40)**	**284.70**
आयकर (भुगतान किया गया)		(67.65)	99.69
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह	**(ए)**	**(46.25)**	**384.40**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों के लिए भुगतान		-	0.00
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से बिक्री आय		-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन संपत्ति में वृद्धि		-	-
बैंक जमा से आय/(निवेश)		-	-
म्यूचुअल फंड, शेयर आदि से आय/(निवेश)		-	-
संयुक्त उद्यम में इक्विटी के लिए भुगतान		-	-
निवेश से ब्याज		126.55	82.00

म्यूचुअल फंड से प्राप्त ब्याज/लाभांश		-	-
म्यूचुअल फंड निवेश में निवेश			
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	**(बी)**	**126.55**	**82.00**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
गैर-चालू उधारों से प्राप्त आय/(चुकाई)		-	-
चालू उधारों से प्राप्त आय/(चुकाई)			-
पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित) भुगतान किया गया ब्याज		(14.61)	(10.92)
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की प्राप्ति		-	-
इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद		-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर		-	-
वित्तपोषण गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (सी)		**(14.61)**	**(10.92)**
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (A+B+C)		65.70	455.47
वर्ष की शुरुआत में नकदी और नकदी समकक्ष अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		1851.52	1396.05
नकदी और नकदी समतुल्य का समाधान (नोट 4.4 देखें)		1917.22	1851.52
नकदी और नकदी समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)		**1917.21**	**1851.52**
नकदी और नकदी समकक्षों के घटक			
(क) बैंकों के पास शेष राशि			
- जमा खातों में		1,915.71	1,848.14
- चालू खातों में		1.51	3.38
- ब्याज सहित (सीएलटीडी खाता आदि)			
- ब्याज रहित			
- नकद ऋण खातों में			
(ख) भारत के बाहर बैंक शेष राशि		-	-
(ग) प्राथमिक व्यापारियों के पास आईसीडी		-	-
(घ) चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प		-	-
(ङ) हाथ में नकदी		-	-
(च) भारत के बाहर हाथ में नकदी		-	-
(च) बैंक ओवरड्राफ्ट		-	-
(छ) अन्य ई-प्रोक्योरमेंट खाता/जेम खाता/अग्रिम शेष		-	-
कुल (नकदी और नकद समकक्षों के घटकों के लिए नोट 4.4 और नोट 8.1 देखें)		**1,917.21**	**1,851.52**

1. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:

31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए

विवरण	गैर-वर्तमान उधार*	वित्त पट्टा देयताएं	वर्तमान उधार
1 अप्रैल 2024 को आरंभिक शेष राशि	-	-	-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
निम्नलिखित के कारण गैर-नकद परिवर्तन:			-
वित्तीय पट्टे के तहत अधिग्रहण	-		
उधार पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में परिवर्तन	-		
उधार पर लेनदेन लागत	-		
31 मार्च 2025 को समापन शेष राशि	-	-	-

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	गैर-वर्तमान उधार*	वित्त पट्टा देयताएं	वर्तमान उधार
1 अप्रैल 2023 को आरंभिक शेष			-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
निम्नलिखित के कारण गैर-नकद परिवर्तन:			
वित्तीय पट्टे के तहत अधिग्रहण	-		
उधार पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में परिवर्तन	-		
उधार पर लेनदेन लागत	-		
31 मार्च 2024 को समापन शेष	-	-	-

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(आर.के.जैन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(जे के बोराह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स एसएबीडी एंड एसोसिएट के और ओर से
सनदी लेखाकार

दिनांक: 09.04.2025
स्थान: संबलपुर

सीए बसंत गोयल
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 505314)
फर्म पंजीकरण संख्या - 020830 न

इक्विटी के परिवर्तनों का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

31.03.2025 को समाप्त अवधि के लिए

विवरण	1/4/2024 तक शेष	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2025 तक शेष
प्रत्येक ₹ 10/- के 35100000 इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया गया	3,510.00	-	3,510.00

31.03.2024 तक

विवरण	1/4/2024 तक शेष	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2025 तक शेष
प्रत्येक ₹ 10/- के 35100000 इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया गया	3,510.00	-	3,510.00

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष					किसी विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय संबंधी मतभेद (ओसीआई)	कुल
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	प्रतिधारित कमाई	(ओसीआई) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल) -		
	-	-	-			-	
01.04.2023 तक शेष	-	-	-	789.59			789.59
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की लुटियाँ	-	-	-	-		-	-
01.04.2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	-	789.59			789.59
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	71.45			71.45
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-			-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-			-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-	-	-			-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-			-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-			-
शेयरों की पुनः खरीद	-	-	-	-			-
बायबैक पर कर	-	-	-	-			-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	861.04		-	861.04

शेष राशि 31.03.2024 तक	आरक्षित और अधिशेष					किसी विदेशी सहायक कंपनी (ओसीआई) के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	कुल
विवरण	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	पूंजी आरक्षित	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	ओसीआई - परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (कर के बाद)		
01.04.2023 तक शेष	-		-	663.17	-	-	663.17
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की लुटियाँ	-		-	-	-		-
01.04.2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	-		-	663.17	-	-	663.17
अवधि के लिए कुल व्यापक आय				126.42	-		126.42
अन्तरिम लाभांश				-			-
अंतिम लाभांश				-			-
अवधि के दौरान वृद्धि	-		-	-			-
वर्ष के दौरान समायोजन	-		-	-	-		-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण			-	-			-
शेयरों की पुनः खरीद							-

बायबैक पर कर							-
बोनस शेयर जारी करना							-
शेष राशि 31.03.2024 तक	-		-	789.59	-	-	789.59

लाभांश तथा आरक्षित निधियों एवं अधिशेष की प्रकृति एवं उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एम.के.तिवारी)
कंपनी सचिव

ह/-
(एस. के. देवनाथ)
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/-
(आर.के.जैन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(जे के बोराह)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स एसएबीडी एंड एसोसिएट के और ओर से
सनदी लेखाकार

दिनांक: 09.04.2025
स्थान: संबलपुर

सीए बसंत गोयल
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 505314)
फर्म पंजीकरण संख्या - 020830 न

वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां

टिप्पणी: 1

क. निगम (कॉर्पोरेट) से संबंधित जानकारी

केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार तलाबीरा –II और III कोल ब्लॉकों में 20 एमटीवाई की बुनियादी क्षमता और 23 एमटीवाई की अधिकतम क्षमता के साथ खनन कार्य किया जाना है, जिसे एमसीएल, एनएलसी और हिंडाल्को के बीच 70:15:15 की इक्विटी होल्डिंग के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा बनाया गया था। तत्पश्चात, 16 जुलाई, 2008 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एमएनएच शक्ति लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन और पंजीकरण किया गया।

ख. अनुपालन विवरण और वर्तमान लेखा घोषणाएँ

i) अनुपालन का विवरण

यह वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (जिन्हें आगे "भारतीय लेखांकन मानक" कहा जाएगा) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित किया गया है। जारी किए गए, अधिसूचित और प्रभावी भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के प्राधिकृत होने तक लागू रहेंगे तथा इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उन पर विचार किया जाएगा।

लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां एक नया जारी किया गया लेखांकन मानक आरंभ में अपनाया जाता है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक प्रयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

ii) नये एवं संशोधित मानकों का अनुप्रयोग:

कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। एमसीए ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाले किसी भी नए मानक या मौजूदा मानकों में संशोधन को अधिसूचित नहीं किया है।

टिप्पणी 2: सामग्री लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत सम्मेलन सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह काम करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव अंकों तक 'लाख रुपये' में पूर्णांकित किया जाता है।

2.2 समेकन का आधार

2.2.1 सहायक कंपनियां

i. i. सहायक कंपनियां ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर कंपनी का नियंत्रण होता है और यह नियंत्रण तब प्राप्त होता है जब समूह को निवेशक के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनशील विवरणियां प्राप्त होता है या उसके पास इसके अधिकार होते हैं और उसके पास निम्नलिखित के माध्यम से उन विवरणियों को प्रभावित करने की क्षमता होती है:

क. निवेशिती पर अधिकार;

ख. निवेशक के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय विवरणियों का जोखिम या अधिकार;

ग. निवेशक पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसके विवरणियों को प्रभावित करने की क्षमता।

सहायक कंपनियों का एकीकरण उस तारीख से किया जाता है जिस दिन उन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाता है, तथा उनका संचालन नियंत्रण समाप्त होने की तारीख से बंद कर दिया जाता है।

ii. समूह होल्डिंग और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को लाइन-दर-लाइन समेकन के आधार पर जोड़ता है, जिसमें संबंधित वित्तीय विवरणों के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों, राजस्व और व्यय की समान वस्तुओं के बही मूल्य को एक साथ जोड़ा जाता है। समूह के अंतर्गत संतुलन, समूह के अंतर्गत लेनदेन और समूह के अंतर्गत लेनदेन से उत्पन्न होने वाले स्टॉक पर अवास्तविक लाभ को समाप्त कर दिया गया है।

iii. समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान भौतिक लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं, जैसा कि अन्यत्र कहा गया है।

iv. सहायक कंपनियों में निवेश की लागत और सहायक कंपनियों में शेयरों के अधिग्रहण के समय शुद्ध परिसंपत्तियों के बीच के अंतर को समेकित वित्तीय विवरणों में सद्भावना या पूंजी रिजर्व के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा भी मामला हो। उक्त सद्भावना का परिशोधन नहीं किया जाता है, तथापि, प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर इसकी हानि के लिए जांच की जाती है, तथा यदि कोई हानि होती है तो उसे समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

v. वर्ष के लिए सहायक कंपनियों के शुद्ध लाभ में गैर-नियंत्रक हित के हिस्से की पहचान की जाती है और उसे समूह के राजस्व के विरुद्ध समायोजित किया जाता है ताकि होल्डिंग कंपनी के मालिकों को देय शुद्ध राजस्व प्राप्त किया जा सके। वर्ष के लिए गैर-नियंत्रक हित पर हानि की अधिकता को मालिक के हित में समायोजित किया जाता है।

vi. सहायक कंपनियों की शुद्ध परिसंपत्तियों में गैर-नियंत्रक हित का हिस्सा पहचाना जाता है और उसे होल्डिंग कंपनी के शेयरधारकों की देनदारियों और इक्विटी से अलग समेकित तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

vii. किसी सहायक कंपनी के स्वामित्व में परिवर्तन, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण की हानि नहीं होती है, को इक्विटी लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

viii. यदि समूह किसी सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है, तो वह परिसंपत्तियों, देनदारियों, किसी भी गैर-नियंत्रक हितों की वहन राशि और इक्विटी में दर्ज संचयी अनुवाद अंतर को मान्यता नहीं देता है। पूर्व सहायक कंपनी में बनाए गए किसी भी हित को नियंत्रण खोने की तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

व्यापार संयोजन और सद्भावना

समूह, समूह संस्थाओं के संयोजन को छोड़कर, जो सामान्य नियंत्रण के अधीन हैं, व्यवसाय संयोजनों के लेखांकन में अधिग्रहण पद्धति को लागू करता है। किसी सहायक कंपनी का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा हस्तांतरित प्रतिफल की गणना, हस्तांतरित परिसंपत्तियों के अधिग्रहण-तिथि के उचित मूल्यों, वहन की गई देनदारियों और समूह द्वारा जारी इक्विटी हितों के योग के रूप में की जाती है, जिसमें आकस्मिक प्रतिफल व्यवस्था से उत्पन्न किसी भी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य शामिल होता है। अधिग्रहण लागत को व्यय के अनुसार ही व्यय किया जाता है। अधिग्रहित परिसंपत्तियों और ग्रहण की गई देनदारियों को आम तौर पर उनके अधिग्रहण की तिथि के उचित मूल्यों पर मापा जाता है।

नियंत्रणाधीन संस्थाओं के संयोजन के मामले में, व्यवसाय संयोजन को ब्याज पूलिंग विधि के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है, जिसके तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों को वहन राशि पर संयोजित किया जाता है तथा उनके उचित मूल्यों को दर्शाने या किसी नई परिसंपत्तियों या देनदारियों को मान्यता देने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, सद्भावना को लागत में से किसी भी संचित हानि को घटाकर मापा जाता है। हानि परीक्षण के उद्देश्य से, किसी व्यावसायिक संयोजन में अर्जित सद्भावना को संयोजन तिथि से, समूह की प्रत्येक नकदी-उत्पादक इकाई को आवंटित किया जाता है, जिससे संयोजन से लाभ मिलने की उम्मीद की जाती है, भले ही अधिग्रहण की अन्य परिसंपत्तियाँ या देनदारियाँ उन इकाइयों को सौंपी गई हों या नहीं।

2.2.2 सहयोगी

सहयोगी वे सभी संस्थाएँ हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। यह आम तौर पर तब होता है जब कंपनी के पास 20% से 50% तक वोटिंग अधिकार होते हैं।

सहयोगी कम्पनियों में निवेश को लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए, प्रारम्भ में लागत पर मान्यता दिए जाने के बाद, लेखांकित किया जाता है, सिवाय उस स्थिति के जब निवेश, या उसका कोई भाग, बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है, ऐसी स्थिति में उसका लेखांकण भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार किया जाता है।

समूह वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर सहयोगियों में अपने शुद्ध निवेश को कम करता है

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था

संयुक्त व्यवस्थाएं वे व्यवस्थाएं हैं जहां समूह का एक या एक से अधिक अन्य पक्षों के साथ संयुक्त नियंत्रण होता है।

संयुक्त नियंत्रण, व्यवस्था के नियंत्रण का संविदागत रूप से सहमत बंटवारा है, जो तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्थाओं को संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की कानूनी संरचना के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है।

2.2. 4 संयुक्त अभियान

संयुक्त संचालन एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास व्यवस्था से संबंधित परिसंपत्तियों पर अधिकार और देनदारियों के लिए दायित्व होते हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण का संविदात्मक रूप से सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने के लिए नियंत्रण साझा करने वाले पक्षों की सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

समूह संयुक्त संचालन की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय पर अपने प्रत्यक्ष अधिकार को मान्यता देता है और किसी भी संयुक्त रूप से धारित या व्यय की गई परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय में अपने हिस्से को मान्यता देता है। इन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में समान मदों के साथ लाइन दर लाइन आधार पर या अन्यथा उपयुक्त लेखा शीर्षों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

2.2.5 संयुक्त उपक्रम

i) संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों को व्यवस्था की शुद्ध परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त उद्यमों में हितों को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है और उसके बाद इक्विटी पद्धति का उपयोग करके उनका लेखा-जोखा किया जाता है।

ii) संयुक्त उद्यम में निवेश को, प्रारम्भ में लागत पर मान्यता दिए जाने के पश्चात, इक्विटी लेखांकन पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकित किया जाता है, सिवाय उस स्थिति के जब निवेश, या उसका कोई भाग, बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, ऐसी स्थिति में उसका लेखांकन भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार किया जाता है।

iii) समूह वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश को कम कर देता है, जब संयुक्त उद्यम में समूह की हानि का हिस्सा इकाई में उसके निवेश के बराबर या उससे अधिक होता है, जिसमें कोई अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य शामिल हैं, तो समूह तब तक आगे की हानि को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि उसने संयुक्त उद्यम की ओर से दायित्व वहन नहीं किया हो या भुगतान नहीं किया हो।

iv) समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेन-देन पर अवास्तविक लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। समूह और उसके संयुक्त उद्यमों के बीच लेन-देन पर अवास्तविक नुकसान भी इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं, जब तक कि लेन-देन में हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का सबूत न हो। जहां संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियां समूह की नीतियों से भिन्न हैं, वहां समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समान परिस्थितियों में समान लेन-देन और घटनाओं के लिए उचित समायोजन किए जाते हैं।

v) संयुक्त उद्यम में कम हिस्सेदारी, लेकिन फिर भी संयुक्त नियंत्रण बरकरार रहने पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

vi) जब निवेश संयुक्त उद्यम नहीं रह जाता है और प्रतिधारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति बन जाता है, तो समूह प्रतिधारित हित को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त वहन राशि में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर मापता है। प्रतिधारित हित का उचित मूल्य प्रतिधारित हित को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में लेखांकन के उद्देश्य से प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। उस संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त कोई भी राशि लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत की जाती है।

2.2.6 इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेशों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद निवेशिती की शुद्ध परिसंपत्तियों में समूह के हिस्से में अधिग्रहण के बाद के परिवर्तनों के लिए समायोजित किया जाता है। निवेशिती के अधिग्रहण के बाद के लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय में समूह का हिस्सा समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में शामिल किया जाता है। संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब इक्विटी-लेखा निवेश में समूह का घाटा हिस्सा इकाई में उसके हित के बराबर या उससे अधिक हो, जिसमें कोई अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य शामिल हैं, तो समूह तब तक आगे घाटे को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि उसने अन्य इकाई की ओर से दायित्व नहीं लिया हो या भुगतान नहीं किया हो।

2.2.7 स्वामित्व हितों में परिवर्तन

समूह गैर-नियंत्रक हितों के साथ लेनदेन को समूह के इक्विटी मालिकों के साथ लेनदेन के रूप में मानता है, जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण की हानि नहीं होती है। स्वामित्व हित में परिवर्तन के परिणामस्वरूप सहायक कंपनी में उनके सापेक्ष हितों को दर्शाने के लिए नियंत्रण और गैर-नियंत्रक हितों की वहन राशि के बीच समायोजन होता है। गैर-नियंत्रक हितों के लिए समायोजन की राशि और भुगतान या प्राप्त किए गए किसी भी उचित मूल्य के बीच कोई भी अंतर इक्विटी के भीतर मान्यता प्राप्त है।

जब समूह नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव की हानि के कारण किसी निवेश के लिए समेकित या इक्विटी खाता बंद कर देता है, तो इकाई में किसी भी बनाए गए हित को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त वहन राशि में परिवर्तन के साथ उसके उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। यह उचित मूल्य सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में बनाए गए हित के लिए बाद में लेखांकन के प्रयोजनों के लिए प्रारंभिक वहन राशि बन जाता है। इसके अलावा, उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी राशि का लेखा इस तरह किया जाता है जैसे कि समूह ने संबंधित परिसंपत्तियों या देनदारियों का सीधे निपटान किया हो। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त राशि को लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

यदि किसी संयुक्त उद्यम या सहयोगी में स्वामित्व हित कम हो जाता है, लेकिन संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव बरकरार रहता है, तो अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त राशियों का केवल आनुपातिक हिस्सा, जहां उपयुक्त हो, लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 चालू व गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:

क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति की प्राप्ति की उम्मीद करता है, या इसे बेचने या उपभोग करने का इरादा रखता है;

ख) यह परिसंपत्ति को मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से रखता है;

ग) उसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति की प्राप्ति की उम्मीद हो; या

घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित है) है, जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा किसी देयता को चालू तब माना जाता है जब:

क. यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता का निपटान करने की उम्मीद करता है;

ख. यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए दायित्व रखता है;

ग. दायित्व का निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना है; या

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी उपकरणों के मुद्दे द्वारा इसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.4 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

राजस्व मुख्य रूप से कोयले, संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से राजस्व तब पहचाना जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, यानी जब उत्पाद ग्राहक को डिलीवर किए जाते हैं। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया गया हो या वितरित कर दिया गया हो, जैसा भी मामला हो, और हानि के जोखिम को बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया हो। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसकी कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय प्रतिफल का अनुमान लगाने और प्रदान करने के लिए किया जाता है, सबसे संभावित विधि का उपयोग करते हुए, और राजस्व को केवल उस सीमा तक पहचाना जाता है जहाँ यह अत्यधिक संभावित है कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। प्रतिफल की राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है क्योंकि बिक्री अनुबंधों के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम हैं।

सामान्यतः, राजस्व की पहचान चालान के आधार पर की जाती है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग निष्पादन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से प्रतिफल पाने का अधिकार सीधे हमारे आज तक पूरे किए गए निष्पादन से मेल खाता है।

ब्याज

वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय तब पहचानी जाती है जब यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभ समूह को मिलेगा और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है, जो वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन के दौरान अनुमानित भविष्य की नकदी प्राप्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध वहन राशि पर छूट देती है।

लाभांश

लाभांश को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, जो आमतौर पर तब होता है जब शेयरधारक लाभांश को मंजूरी देते हैं।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित वसूली पर ब्याज सहित) के संबंध में राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है जब अंतिम वसूली के संबंध में उचित निश्चितता हो और राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

2.5 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह उचित आश्वासन न मिल जाए कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी तथा यह उचित निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी संबंधित व्ययों या लागतों को मान्यता देती है जिनमें अनुदानों की क्षतिपूर्ति की जाती है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके तुलन पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात परिसंपत्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्षक के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता, जो पहले से किए गए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या कंपनी को बिना किसी भविष्य संबंधी लागत के तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होती है, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होती है, जिसमें वह प्राप्त होती है।

प्रवर्तक के योगदान के रूप में सरकारी अनुदान या अनुदान को सीधे "पूंजी रिजर्व" में मान्यता दी जाती है जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा बनती है।

2.6 पट्टे

एक अनुबंध पट्टा तब कहलाता है, या पट्टा में निहित होता है, यदि अनुबंध, प्रतिफल के बदले में, एक निश्चित अवधि के लिए किसी चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।

2.6.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध में प्रतिफल के बदले में किसी समयावधि के लिए पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा शामिल होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (i) अनुबंध में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी के पास पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं और (iii) कंपनी के पास परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

प्रारंभिक तिथि पर, पट्टेदार को लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को तथा उस तिथि को न चुकाए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मान्यता देनी होगी, बशर्ते कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके, किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि को कम करके तथा किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधनों को दर्शाने के लिए वहन राशि को पुनः मापकर मापा जाता है।

पट्टा देयता को शुरू में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टा भुगतान पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है या, यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी, तो पट्टा देयताओं को संबंधित उपयोग संपत्ति के अधिकार के अनुरूप समायोजन के साथ पूर्व-मापा जाता है। पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा देयता दायित्वों को "वित्तीय देयताओं" शीर्षक के तहत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त प्रभारों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक पट्टाधारक को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर देता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत दर्शाती है कि पट्टाधारक खरीद विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टाधारक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यह्रास आरंभ तिथि से उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत या पट्टा अवधि के अंत में से जो भी पहले हो, तक करेगा।

2.6.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिसंपत्तियों को या तो वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है।

वित्त पट्टा: एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है। प्रारंभ में, वित्त पट्टे के तहत रखी गई परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में मान्यता दी जाती है और पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पट्टे की अवधि में वित्त आय को मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर वापसी की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है।

परिचालन पट्टा: एक पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, एक परिचालन पट्टा है। कंपनी परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में पट्टा भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.7 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

कंपनी गैर-चालू परिसंपत्तियों और (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए रखे जाने के रूप में वर्गीकृत करती है यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी न कि निरंतर उपयोग के माध्यम से। बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से यह संकेत मिलना चाहिए कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की संभावना नहीं है या बिक्री का निर्णय वापस लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री पूरी होने की उम्मीद के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन उद्देश्यों के लिए, बिक्री लेनदेन में गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों का अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के साथ आदान-प्रदान शामिल है, जब विनिमय में वाणिज्यिक सार होता है। बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकरण के मानदंड को तभी पूरा माना जाता है जब परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हों, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं, इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है; और इसे वास्तव में बेचा जाएगा, त्यागा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- खरीदार ढूंढने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है
- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है, जो उसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित है,
- वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री को पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता मिलने की उम्मीद है, और
- योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां यह दर्शाती हैं कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने अथवा योजना को वापस लिए जाने की संभावना नहीं है।
- बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्ति या निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतम पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्ति या निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतम पर मापा जाता है।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यह्रास

पीपीई की किसी वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता तब दी जाती है यदि यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीपीई को शुरू में अधिग्रहण/निर्माण की लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें आवश्यकतानुसार डीकमीशनिंग या बहाली लागत शामिल होती है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल होते हैं जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित होते हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्वास लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत में निम्न शामिल हैं:

क) व्यापार छूट और रियायतों में कटौती के बाद, आयात शुल्क और गैर-वापसीयोग्य खरीद करों सहित इसकी खरीद मूल्य।

ख) परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत।

ग) वस्तु को नष्ट करने और हटाने तथा उस स्थान को बहाल करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, जिसके लिए कंपनी या तो वस्तु के अधिग्रहण के समय या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग सूची तैयार करने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए करने के परिणामस्वरूप दायित्व वहन करती है।

घ) योग्य परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के प्रत्येक भाग की कीमत, जो वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है। हालाँकि, पीपीई की किसी वस्तु के महत्वपूर्ण भाग (भागों) का उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास विधि समान होने पर मूल्यह्रास शुल्क निर्धारित करने में एक साथ समूहीकृत किया जाता है।

'मरम्मत और रखरखाव' के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवाओं की लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने की बाद की लागत को मद की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किए गए भागों की वहन राशि नीचे उल्लिखित मान्यता समाप्ति नीति के अनुसार मान्यता समाप्ति है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तु की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि वस्तु से जुड़े भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण की लागत की कोई भी शेष वहन राशि (भौतिक भागों से अलग) को मान्यता नहीं दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की किसी वस्तु को निपटान के समय या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की ऐसी मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सरलरेखीय आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि

(पट्टेदार भूमि सहित)	: परियोजना की अवधि या लीज अवधि जो भी कम हो
भवन (सड़क सहित)	: 3-60 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	: 15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	: 1-40 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	: 3-5 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन उस अवधि को सबसे अच्छी तरह दर्शाते हैं जिसके दौरान प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, सिवाय कुछ परिसंपत्ति मदों जैसे अन्य भूमि, साइट पुनर्स्थापना परिसंपत्ति, अन्य खनन अवसंरचना, सर्वेक्षण की गई परिसंपत्तियां को छोड़कर। कोयला टब, घुमावदार रस्सियों, ढुलाई रस्सियों, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसी वस्तुओं के लिए उपयोगी जीवन तकनीकी रूप से एक वर्ष माना गया है, जिसमें शून्य अवशिष्ट मूल्य है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, जोड़ने/निपटाने के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालिक हस्तांतरण आदि के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि शामिल है, जिसका परिशोधन परियोजना की शेष अवधि के आधार पर किया जाता है; और पट्टाधारित भूमि के मामले में ऐसा परिशोधन पट्टा अवधि या परियोजना की शेष अवधि, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

वे परिसंपत्तियां जो पूर्णतः मूल्यह्रासित हो चुकी हैं तथा सक्रिय उपयोग से हटा ली गई हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र उपकरण के अंतर्गत अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षणित परिसंपत्तियों के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है तथा उनकी हानि के लिए जांच की जाती है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी भी मौजूदा परिसंपत्तियों तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखांकन मानक में परिवर्तन

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने का चुनाव किया (अपनी समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए, जैसा कि भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है, जिसे पिछले जीएएपी के अनुसार मापा गया है)।

2.9 खदान बंद करना, साइट की बहाली और डीकमीशनिंग दायित्व

भूमि सुधार और संरचनाओं को हटाने के लिए कंपनी के दायित्व में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सतही और भूमिगत दोनों खदानों पर व्यय शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य करने के लिए भविष्य में नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खदान बंद करने, साइट की बहाली और हटाने के लिए अपने दायित्व का अनुमान लगाती है। खदान बंद करने का व्यय स्वीकृत खदान बंद करने की योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। व्यय के अनुमानों को मुद्रास्फीति के लिए बढ़ा दिया जाता है, और फिर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, ताकि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करे। कंपनी अंतिम पुनर्ग्रहण और खदान बंद करने के दायित्व से जुड़ी एक संगत परिसंपत्ति दर्ज करती है। दायित्व और संगत परिसंपत्तियों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें दायित्व वहन किया जाता है। खदान बंद करने की योजना के अनुसार कुल साइट बहाली लागत (केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड द्वारा अनुमानित) का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति को पीपीई में एक अलग आइटम के रूप में मान्यता दी गई है और शेष परियोजना/खदान जीवन पर परिशोधित किया गया है। छूट के प्रभाव के समाप्त होने के साथ प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है;

इसके अलावा, अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार इस प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता बनाए रखा जाता है।

वर्ष दर वर्ष आधार पर किए गए प्रगतिशील खदान बंद करने के व्यय, जो कुल खदान बंद करने के दायित्व का हिस्सा बनते हैं, को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि वापस ली जाती है।

2.10 अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों में वे लागतें शामिल हैं जो कोयला और संबंधित संसाधनों की खोज से संबंधित हैं, जो तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचाने गए संसाधन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आकलन तक लंबित हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- अन्वेषण के अधिकारों का अधिग्रहण
- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा पर शोध और विश्लेषण करना;
- स्थलाकृतिक, भू-रासायनिक और भू-भौतिकीय अध्ययनों के माध्यम से अन्वेषण डेटा एकत्र करना;
- अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, ट्रेंचिंग और नमूनाकरण;
- संसाधन की मात्रा और ग्रेड का निर्धारण और जांच करना;
- परिवहन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;
- बाजार और वित्त अध्ययन आयोजित करना।

इसमें कर्मचारी पारिश्रमिक, प्रयुक्त सामग्री और ईंधन की लागत, ठेकेदारों को भुगतान आदि शामिल हैं।

चूंकि अमूर्त घटक, भावी दोहन से होने वाली और प्राप्त होने वाली समग्र अपेक्षित मूर्त लागतों के एक नगण्य/अविभाज्य भाग का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इन लागतों को अन्य पूंजीकृत अन्वेषण लागतों के साथ अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

अन्वेषण और मूल्यांकन लागतों को परियोजना-दर-परियोजना आधार पर पूंजीकृत किया जाता है, जब तक कि परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता का निर्धारण नहीं हो जाता और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत एक अलग लाइन आइटम के रूप में प्रकट नहीं किया जाता। बाद में उन्हें लागत में से संचित हानि/प्रावधान घटाकर मापा जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार निर्धारित हो जाते हैं और खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूरी मिल जाती है, तो अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य के तहत "विकास" में स्थानांतरित कर दिया जाता है। हालाँकि, यदि प्रमाणित भंडार निर्धारित नहीं होते हैं, तो अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति को मान्यता से हटा दिया जाता है।

2.11 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार निर्धारित किए जाते हैं और खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी जाती है, तो पूंजीकृत अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को निर्माणाधीन परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है और इसे "विकास" शीर्षक के तहत प्रगति पर पूंजीगत कार्य के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। सभी बाद के विकास व्यय को भी पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीकृत विकास व्यय विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय से शुद्ध है।

व्यावसायिक प्रचालन

परियोजना/खान को राजस्व में तब लाया जाता है; जब परियोजना/खान की स्थायी आधार पर उत्पादन करने के लिए वाणिज्यिक तैयारी या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित हो जाती है:

क. उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें परियोजना अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% भौतिक उत्पादन प्राप्त करती है, या

ख. कोयला छूने के 2 साल, या

ग. उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक है।

जो भी घटना पहले घटित हो;

राजस्व में लाए जाने पर, पूंजीगत कार्य प्रगति के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्तियों को "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचनाओं का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है जब खदान को राजस्व में लाया जाता है, 20 वर्षों में या परियोजना के कार्य जीवन में जो भी कम हो।

2.12 अमूर्त संपत्ति और परिशोधन

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर आरंभिक मान्यता पर मापा जाता है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय शामिल होता है। आरंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त संपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानि को घटाकर लागत पर रखा जाता है।

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की एक मद को निपटान पर या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया जाता है।

अमूर्त संपत्तियों के उपयोगी जीवन को या तो सीमित या अनिश्चित के रूप में आकलित किया जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है और जब भी ऐसा संकेत मिलता है कि अमूर्त संपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो उनका मूल्यह्रास के लिए मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिवर्तन या संपत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित पैटर्न को परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने के लिए उचित माना जाता है, और उन्हें लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उसकी क्षति के लिए जांच की जाती है।

बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों (अर्थात् सीआईएल के लिए चिन्हित न किए गए ब्लॉकों) से संबंधित अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा उनकी क्षति के लिए जांच की जाती है।

शोध पर व्यय को व्यय के रूप में तब जोड़ा जाता है जब वह व्यय होता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन रखने का इरादा रखती है।

2.13 परिसंपत्तियों की क्षति (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि किसी परिसंपत्ति की क्षति हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या नकदी-उत्पादक इकाई के उपयोग में मूल्य और निपटान की लागत को घटाकर उसके उचित मूल्य में से जो अधिक हो, वह होती है और इसे किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह उत्पन्न न हो जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र हो, ऐसी स्थिति में वसूली योग्य राशि उस नकदी-उत्पादक इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। समूह क्षति के परीक्षण के उद्देश्य से व्यक्तिगत खानों को अलग-अलग नकदी-उत्पादक इकाइयों के रूप में मानता है।

यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है तथा हानि की क्षति को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.14 संपत्ति मे निवेश

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) जो किराया कमाने या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी जाती है, न कि वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए; या सामान्य व्यवसाय के क्रम में बिक्री के लिए, निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

निवेश संपत्ति को प्रारंभ में उसकी लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू हो, उधार लागत भी शामिल होती है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

2.15 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

2.15.1 वित्तीय पूंजी

2.15.1.1 प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, साथ ही वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होने वाली लेनदेन लागतों को भी शामिल किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री जिसके लिए बाजार में विनियमन या परंपरा द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है (नियमित तरीके से व्यापार) को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, यानी, वह तिथि जब कंपनी परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है। हालांकि, व्यापार प्राप्तियां जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.1.2 अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण
- लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण, व्युत्पन्न और इक्विटी उपकरण
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा गया इक्विटी उपकरण

2.15.1.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो 'ऋण साधन' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

क) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना है, और

ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त आय में शामिल किया जाता है। हानि से उत्पन्न होने वाले नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.1.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन

एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को शुरू में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य गतिविधियों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। हालाँकि, कंपनी ब्याज आय, हानि, नुकसान और उत्क्रमण और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पी एंड एल में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.1.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण साधन

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी किसी ऐसे ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता हो। हालाँकि, ऐसा चुनाव केवल तभी अनुमत है जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगति (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है) कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने किसी भी ऋण साधन को एफवीटीपीएल के अनुसार नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को पी एंड एल में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.1.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 (भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाना) के अनुसार, संक्रमण की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को अनुमानित लागत माना जाता है। इसके बाद सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश को भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में निर्धारित इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

2.15.1.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में आने वाले सभी अन्य इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।कंपनी उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह का चुनाव साधन-दर-यंत्र आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय होता है।

एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के सभी उचित मूल्य परिवर्तन, OCI में मान्यता प्राप्त हैं। लाभ और हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का कोई बाद में पुनर्वर्गीकरण नहीं है। हालाँकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसे निवेशों से लाभांश को लाभ और हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी के भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को पीएंडएल में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.15.1.3 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का एक हिस्सा) को प्राथमिक रूप से तब अमान्य घोषित किया जाता है (अर्थात् तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या किसी तीसरे पक्ष को 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत बिना किसी भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित किया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिम और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब उसने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है, तो कंपनी कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबद्ध देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी के रूप में निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल वहन राशि और कंपनी द्वारा चुकाए जाने वाले प्रतिफल की अधिकतम राशि के निम्नतम पर मापा जाता है।

2.15.1.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं, जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, व्यापार प्राप्य और तुलन पत्र

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के अनुसार मापी जाती हैं

ग) भारतीय लेखांकन मानक 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ) व्यापार प्राप्य या नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो भारतीय लेखा मानक 115 के दायरे में आने वाले लेनदेन से उत्पन्न होता है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानि क्षति भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य; तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 116 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्तियां

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ते को मान्यता देता है।

2.15.2 वित्तीय देनदारियां

2.15.2.1 प्रारंभिक पहचान और माप

कंनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार शामिल हैं।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा ऋणों, उधारों और देयताओं के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2 अनुवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

2.15.2.2.1 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। अलग-अलग एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गए दायित्वों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.15.2.2.2 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में पहचाना जाता है जब देनदारियों को मान्यता से हटा दिया जाता है और साथ ही प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी पहचाना जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग हैं। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

2.15.2.3 मान्यता रद्द करना

वित्तीय दायित्व तब अमान्य हो जाता है जब दायित्व के अंतर्गत दायित्व निष्प्रभावी हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व के भाग) की वहन राशि, जिसे समाप्त कर दिया गया है या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया है और भुगतान किए गए प्रतिफल, जिसमें हस्तांतरित कोई भी गैर-नकद परिसंपत्ति या ग्रहण की गई देनदारियाँ शामिल हैं, के बीच का अंतर लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होगा।

2.15.2.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और वित्तीय देनदारियां हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण इंस्ट्रूमेंट हैं, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। व्यवसाय मॉडल में बदलाव अक्सर नहीं होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में बदलाव का निर्धारण करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे बदलाव बाहरी पक्षों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव तब होता है जब कंपनी अपने संचालन के लिए महत्वपूर्ण कोई गतिविधि शुरू करती है या करना बंद कर देती है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है, तो यह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद की अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी लाभ, हानि (क्षति लाभ या हानि सहित) या ब्याज को फिर से नहीं बताती है।

निम्न तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनके हिसाब का तरीका दर्शाती है

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन उपचार
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच के अंतर को पी एंड एल में मान्यता दी जाती है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहन राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई सकल वहन राशि के आधार पर की जाती है
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई परिशोधित लागत वहन राशि बन जाती है। हालाँकि, ओसीआई में संचयी लाभ या हानि को उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप, परिसंपत्ति को इस तरह मापा जाता है जैसे कि इसे हमेशा परिशोधित लागत पर मापा जाता था।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई वहन राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.15.2.5 वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं का एक साथ निपटान करने का इरादा है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को समेकित तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह मूल्य है जो वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है, जो ऐसे माप के लिए प्रयुक्त इनपुट के अवलोकन की क्षमता पर निर्भर करता है:

क. स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं।

ख. स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं।

ग. स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा (अअवलोकनीय इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

कंपनी के पास उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है, जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापनों की देखरेख की समग्र जिम्मेदारी है, जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करती है जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.15.3 नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हस्तगत नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमाराशियाँ शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के समेकित विवरण के उद्देश्य के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी और अल्पकालिक जमाराशियाँ शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.16. उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागतें, जब कभी भी व्यय की जाती हैं, व्यय में शामिल की जाती हैं, सिवाय उन मामलों के जहां वे सीधे अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण हों, अर्थात् ऐसी परिसंपत्तियां जिन्हें अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, ऐसी स्थिति में उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि अर्हक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

2.17 कर निर्धारण

आयकर व्यय वर्तमान में देय कर और स्थगित कर का योग दर्शाता है।

वर्तमान कर किसी अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है। कर योग्य लाभ, लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में रिपोर्ट किए गए "आयकर से पहले लाभ" से भिन्न होता है क्योंकि इसमें आय या व्यय की ऐसी मदें शामिल नहीं होती हैं जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य होती हैं और इसमें ऐसी मदें भी शामिल नहीं होती हैं जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं होती हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताओं को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आम तौर पर सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध उन कटौती योग्य अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों और देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है यदि अस्थायी अंतर सद्भावना से या किसी ऐसे लेनदेन में अन्य परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता (व्यावसायिक संयोजन के अलावा) से उत्पन्न होता है जो न तो कर योग्य लाभ को प्रभावित करता है और न ही लेखांकन लाभ को।

सहायक कंपनियों और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देनदारियों को मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जहां कंपनी अस्थायी अंतर को उलटने पर नियंत्रण करने में सक्षम है और यह संभावना है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। ऐसे निवेशों और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब यह संभावना हो कि अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ होंगे।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अपरिचित आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग को वसूल करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद होती है, जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या परिसंपत्ति की वसूली की जाती है, जो कर दर (और कर कानूनों) पर आधारित होती है, जिन्हें रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन उन कर परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशि की वसूली या निपटान की अपेक्षा के अनुसार होंगे।

चालू और आस्थगित कर को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है, जिस स्थिति में, चालू और आस्थगित कर को क्रमशः अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां चालू कर या आस्थगित कर किसी व्यवसाय संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से उत्पन्न होता है, वहां कर प्रभाव को व्यवसाय संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है, जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो, तथा जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य इकाइयों पर लगाए गए आयकरों से संबंधित हों, जहां शेष राशि का निपटान शुद्ध आधार पर करने का इरादा हो।

2.18 कर्मचारी लाभ

2.18.1 अल्पकालिक लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ हैं (समाप्ति लाभों के अलावा) जिनका भुगतान उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बारह महीने से पहले पूर्ण रूप से किया जाना अपेक्षित होता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.18.2 नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.18.2.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए कोष में एक निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.18.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक रोजगार-पश्चात लाभ योजना है। परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछली अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित किया है। लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाया जाता है, यदि कोई हो। छूट दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है, जिनकी परिपक्वता तिथियाँ कंपनी के दायित्वों की शर्तों के करीब हैं और जो उसी मुद्रा में मूल्यांकित हैं जिसमें लाभ का भुगतान किए जाने की उम्मीद है।

एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुप्रयोग में छूट दर, परिसंपत्तियों पर वापसी की अपेक्षित दरें, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणाएँ बनाना शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, ऐसे अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं। प्रत्येक तुलन पत्र पर एक एक्चुअरी द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके गणना की जाती है। जब गणना के परिणामस्वरूप कंपनी को लाभ होता है, तो मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति योजना से किसी भी भविष्य की वापसी या योजना में भविष्य के योगदान में कमी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। कंपनी को एक आर्थिक लाभ तब उपलब्ध होता है जब यह योजना के जीवनकाल के दौरान या योजना देनदारियों के निपटान पर प्राप्त किया जा सकता है।

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन, जिसमें योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज को छोड़कर) और परिसंपत्तियों की अधिकतम सीमा (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) के प्रभावों पर विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है, को अन्य व्यापक आय में तुरंत मान्यता दी जाती है। कंपनी वार्षिक अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर को तत्कालीन शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर लागू करके अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है, योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए, परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित शुद्ध ब्याज व्यय और अन्य व्यय लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त हैं।

जब योजना के लाभों में सुधार किया जाता है, तो कर्मचारियों द्वारा पूर्व सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के हिस्से को लाभ और हानि विवरण में तुरंत व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.18.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार-पश्चात लाभ और सेवा समाप्ति लाभ को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदें शामिल हैं, जिनका निपटान उस वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बारह महीने बाद तक पूर्ण रूप से होने की उम्मीद नहीं है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, निम्नलिखित राशियों का शुद्ध योग लाभ या हानि विवरण में पहचाना जाता है:

क. सेवा लागत

ख. शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज

ग. शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुनः मापन

2.19 विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्राओं में किए गए लेन-देन को लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्यांकित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को उन दरों से भिन्न दरों पर परिवर्तित करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान या पिछले वित्तीय विवरणों में प्रारंभिक मान्यता पर परिवर्तित किया गया था, उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर-मौद्रिक वस्तुओं का मूल्यांकन लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.20 स्ट्रिपिंग गतिविधि

ओपनकास्ट माइनिंग के मामले में, कोयले तक पहुँचने और उसके निष्कर्षण के लिए खदान के अपशिष्ट पदार्थ ("ओवरबर्डन") जिसमें कोयला सीम के शीर्ष पर मिट्टी और चट्टान शामिल हैं, को हटाना आवश्यक है। कोयले तक पहुँचने के लिए ओवरबर्डन को हटाने की प्रक्रिया को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। कोयले तक पहुँच प्राप्त करने के लिए स्ट्रिपिंग आवश्यक है और ओपनकास्ट माइन के पूरे जीवनकाल में होती है। विकास और उत्पादन चरणों के दौरान स्ट्रिपिंग लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में अन्य खनन बुनियादी ढांचे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग लागतों का अलग-अलग खदानों के लिए अलग-अलग हिसाब लगाया जाता है।

कंपनी स्ट्रिपिंग गतिविधियों का लेखा-जोखा इस प्रकार रखती है:

विकास चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत

यह कोयले तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किए गए प्रारंभिक ओवरबर्डन हटाने की लागतें हैं। इन लागतों को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावना होती है कि भविष्य में आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। एक बार उत्पादन चरण शुरू होने के बाद, पूंजीकृत विकास स्ट्रिपिंग लागतों को खदान के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है।

उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत:

यह ओवरबर्डन हटाने की लागतें हैं जो कंपनी की नीति के अनुसार खदान को राजस्व में लाने के बाद आती हैं। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत दो लाभों को जन्म दे सकती है, वर्तमान अवधि में कोयले की निकासी और कोयले तक बेहतर पहुँच जो भविष्य की अवधि में निकाली जाएगी। उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागतों को उत्पादित इन्वेंट्री और स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति के बीच एक मानक स्ट्रिप अनुपात (ओवरबर्डन-टू-कोल) का उपयोग करके आवंटित किया जाता है। मानक स्ट्रिप अनुपात खदान के जीवनकाल में निकाले जाने वाले कुल कोयले के मुकाबले खदान के जीवनकाल में हटाए जाने वाले ओवरबर्डन की कुल मात्रा है। जब हटाए गए ओवरबर्डन की वास्तविक मात्रा ओवरबर्डन हटाने की अपेक्षित मात्रा से अधिक होती है, तो अपेक्षित ओवरबर्डन हटाने पर हटाए गए अतिरिक्त ओवरबर्डन के लिए स्ट्रिपिंग लागत को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति में पूंजीकृत किया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को खदान के जीवनकाल में परिशोधित किया जाता है। भू-खनन स्थितियों में परिवर्तन मानक स्ट्रिप अनुपात पर प्रभाव डाल सकते हैं। अनुपात में परिवर्तन को भावी रूप से हिसाब में लिया जाता है। स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत अलग से शामिल किया जाता है।

कंपनी एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाली खानों में उत्पादन चरण के दौरान स्ट्रिपिंग लागत के लिए स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति को मान्यता देती है।

2.21 माल-भंडार

2.21.1 कोयले का स्टॉक

कोयले/कोक के भंडार को लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर दर्शाया जाता है। भंडार की लागत की गणना भारित औसत विधि का उपयोग करके की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य भंडार के अनुमानित विक्रय मूल्य को पूरा करने की सभी अनुमानित लागतों और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागतों को घटाकर दर्शाता है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन खातों में शामिल किया जाता है जहाँ बुक स्टॉक और मापे गए स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक होता है और जहाँ अंतर +/- 5% से ज़्यादा होता है, वहाँ मापे गए स्टॉक को शामिल किया जाता है। ऐसे स्टॉक का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य या लागत जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। कोक को कोयले के स्टॉक का हिस्सा माना जाता है।

कोयला एवं कोक-फाइंस का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है तथा इसे कोयले के स्टॉक का हिस्सा माना जाता है।

स्लरी (कोकिंग/अर्ध-कोकिंग), वाशरियों की मिडिलिंग, तथा उप-उत्पादों का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है तथा उन्हें कोयले के स्टॉक का हिस्सा माना जाता है।

2.21.2 स्टोर, स्पेयर्स और अन्य इन्वेंटरी

अन्य इन्वेंटरी सहित भंडार और स्पेयर्स के स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत पद्धति के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और स्पेयर्स के लिए 100% की दर से प्रावधान किया जाता है, तथा 5 वर्षों तक स्थानांतरित न किए गए स्टोर और स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान किया जाता है।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है, वहां प्रावधान दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर बताए जाते हैं।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर सभी प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को प्रतिबिंबित करने के लिए उन्हें समायोजित किया जाता है।

जहां यह संभावना नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर-दूर तक न हो। संभावित दायित्व, जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या न घटित होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें भी आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूर-दूर तक न हो।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से परिलक्षित हो।

2.23 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर तनु आय की गणना कर के बाद लाभ को प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है और साथ ही उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या भी जो सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे।

2.24 अनुपात विचरण

अनुपात भिन्नता रिजर्व की मान्यता सीआईएल द्वारा अपनी स्थापना के बाद से स्थापित नीति का लगातार पालन करती रही है। इस लेखांकन पद्धति को आयकर अधिकारियों सहित कई आधिकारिक निकायों और मंचों द्वारा प्रमाणित और मान्य किया गया है।

जब भी प्रावधान/परिसंपत्ति के उलटने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो अनुपात भिन्नता रिजर्व की वहन राशि को व्यवस्थित रूप से उलट दिया जाएगा। ऐसा उलटना उन खानों के लिए विशिष्ट होना चाहिए जिनके लिए समान प्रावधान/परिसंपत्ति को मान्यता दी गई है।

किसी खदान के मामले में, जहां स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान के परिणामस्वरूप निकाले गए ओवरबर्डन की मात्रा, अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा से अधिक हो गई है, स्ट्रिपिंग गतिविधि की आरंभिक औसत दर से गुणा की गई मात्रा को लाभ और हानि के विवरण में स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी, तथा इसके अनुरूप शुद्ध स्ट्रिपिंग गतिविधि प्रावधान में डेबिट किया जाएगा।

अपेक्षित ओवरबर्डन की मात्रा = **निकाले गए कोयले की मात्रा** X
मानक स्ट्रिप अनुपात

जहाँ,

मानक पट्टी अनुपात = खदान के जीवनकाल के दौरान निकाला जाने वाला कुल ओवरबर्डन
खदान के जीवनकाल के दौरान निकाला जाने वाला कुल कोयला।

2.25 निर्णय, अनुमान और मान्यताएँ

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करते हैं। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों को शामिल करने वाली लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान अवधि दर अवधि बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हैं, तो उनके प्रभावों का वित्तीय विवरणों के नोट्स में खुलासा किया जाता है।

2.25.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है:

2.25.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियों को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वित्तीय विवरणों में लेन-देन, अन्य घटनाओं और उन स्थितियों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी शामिल हो, जिन पर वे लागू होती हैं। जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वहीन हो, तो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है।

किसी लेनदेन, अन्य घटना या स्थिति पर विशिष्ट रूप से लागू होने वाले भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) की अनुपस्थिति में, प्रबंधन ने लेखांकन नीति को विकसित करने और लागू करने में अपने विवेक का उपयोग किया है, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है:

क. उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक और

ख. वित्तीय विवरण विश्वसनीय हैं: और

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करना;

(ii) लेन-देन, अन्य घटनाओं और स्थितियों के आर्थिक सार को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल कानूनी रूप को; (iii) तटस्थ हों,

अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त हों; (iv) विवेकपूर्ण हों; और (v) सभी भौतिक मामलों में सुसंगत आधार पर पूर्ण हों

निर्णय लेने में प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों का संदर्भ लेता है और उनकी प्रयोज्यता पर विचार करता है:

क. समान एवं संबंधित मुद्दों से निपटने वाले भारतीय लेखा मानकों की आवश्यकताएं; और

ख. फ्रेमवर्क में परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय के लिए परिभाषाएं, मान्यता मानदंड और माप अवधारणाएं।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की नवीनतम घोषणाओं और उनके अभाव में अन्य मानक-निर्धारक निकायों की घोषणाओं पर विचार करता है, जो लेखांकन मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं को विकसित करने के लिए समान वैचारिक ढांचे का उपयोग करते हैं, इस सीमा तक कि ये भारतीय लेखांकन मानक और लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के साथ संघर्ष नहीं करते हैं, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ में कहा गया है।

कंपनी खनन क्षेत्र में काम करती है (ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन और विकास उत्पादन चरण दशकों से चल रहे पट्टे की अवधि में फैले विभिन्न स्थलाकृतिक और भू-खनन भूभाग पर आधारित होते हैं और निरंतर परिवर्तनों के लिए प्रवण होते हैं), जिसकी लेखांकन नीतियां अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग प्रथाओं के आधार पर विकसित हुई हैं और पिछले कई दशकों में इसके लगातार आवेदन के कारण विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित हैं। विकास की प्रक्रिया में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन और मानकों की अनुपस्थिति में, कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के अनुरूप लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और इसमें किसी भी विकास को ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, विशेष रूप से भारतीय लेखांकन मानक 8 में, भविष्य में हिसाब में लिया जाएगा।

2.25.1.2 भौतिकत्व

भारतीय लेखांकन मानक उन मदों पर लागू होता है जो महत्वपूर्ण हैं। प्रबंधन यह तय करने में विवेक का उपयोग करता है कि वित्तीय विवरणों में अलग-अलग मदें या मदों के समूह महत्वपूर्ण हैं या नहीं। महत्वपूर्णता का निर्धारण मदों की प्रकृति या परिमाण या दोनों के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या किसी सूचना को छोड़ना या गलत तरीके से प्रस्तुत करना या अस्पष्ट करना व्यक्तिगत रूप से या अन्य सूचनाओं के साथ मिलकर उन निर्णयों को प्रभावित कर सकता है जो प्राथमिक उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखा मानक की अनुपालन आवश्यकता निर्धारित करने के लिए भी महत्वपूर्णता के विवेक का उपयोग करता है। इसके अलावा, कंपनी को कानून द्वारा अपेक्षित होने पर अलग से महत्वहीन मदों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

दिनांक 01.04.2019 से पूर्व अवधियों से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों/चूक को महत्वहीन माना जाएगा तथा चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, यदि ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कुल मिलाकर कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल परिसंपत्तियों के 1% से अधिक नहीं हैं।

2.25.1.3 परिचालन पट्टा

कंपनी ने लीज़ समझौते किए हैं। कंपनी ने व्यवस्थाओं की शर्तों और नियमों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसे कि लीज़ अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है और परिसंपत्ति का उचित मूल्य है, कि यह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखती है और अनुबंधों को परिचालन पट्टों के रूप में मानती है।

2.25.2 अनुमान और मान्यताएँ

रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएँ, जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं। कंपनी ने अपनी धारणाएँ और अनुमान समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाने के समय उपलब्ध मापदंडों पर आधारित किए। हालाँकि, भविष्य के विकास के बारे में मौजूदा परिस्थितियाँ और धारणाएँ, बाज़ार में होने वाले बदलावों या ऐसी परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब वे धारणाओं में परिलक्षित होते हैं।

अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग जिसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय और लेखांकन अनुमान की आवश्यकता होती है, जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं का उपयोग नीचे बताया गया है:

2.25.2.1 गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

हानि का संकेत तब मिलता है, जब किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो, जो उसके उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर और उसके उपयोग में मूल्य में से जो अधिक हो, होती है। हानि के परीक्षण के उद्देश्य से कंपनी अलग-अलग खदानों को अलग-अलग नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग में मूल्य की गणना DCF मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के बजट से प्राप्त होते हैं और इसमें पुनर्गठन गतिविधियाँ शामिल नहीं होती हैं, जिनके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश जो परीक्षण किए जा रहे CGU की परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। वसूली योग्य राशि DCF मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ अपेक्षित भविष्य के नकदी-प्रवाह और एक्सट्रपलेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली विकास दर के प्रति संवेदनशील होती है।

2.25.2.2 आयकर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटे के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध घाटे का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य मुनाफे के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के आधार पर, मान्यता प्राप्त करने योग्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.25.2.3 परिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

परिभाषित लाभ योजना और अन्य रोजगार-पश्चात चिकित्सा लाभों की लागत और दायित्वों का वर्तमान मूल्य एक्चुरियल मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक्चुरियल मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन के लिए सबसे अधिक विषयगत पैरामीटर छूट दर है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उचित छूट दर निर्धारित करने में, प्रबंधन रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बांड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। ये मृत्यु दर तालिकाएँ केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में अंतराल पर बदलती रहती हैं।

2.25.2.4 विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार किसी परियोजना के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति का पूंजीकरण करती है। लागतों का आरंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है, जिसमें तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसे मंजूरी दी जाती है।

2.25.2.5 खदान बंद करने, साइट की बहाली और डीकमीशनिंग दायित्व के लिए प्रावधान

खदान बंद करने, साइट की बहाली और डीकमीशनिंग दायित्व के लिए प्रावधान के उचित मूल्य का निर्धारण करते समय, छूट दरों, साइट की बहाली और विघटन की अपेक्षित लागत और उन लागतों के अपेक्षित समय के संबंध में धारणाएं और अनुमान लगाए जाते हैं। कंपनी परियोजना/खदान के जीवन को ध्यान में रखते हुए डीसीएफ पद्धति का उपयोग करके प्रावधान का अनुमान लगाती है।

- कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत
- छूट दर (कर-पूर्व दर) जो धन के समय मूल्य और देयता से संबंधित जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करती है।

2.26 प्रयुक्त संक्षिप्तीकरण:

क.	सीजीयू	नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई	ठ.	ईसीएल	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ख.	डीसीएफ	रियायती नकदी प्रवाह	ड.	बीसीसीएल	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
ग.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	ढ.	सीसीएल	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
घ.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	ण.	एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ड.	जीएएपी	आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांत	त.	एमसीएल	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
च.	इंड एएस	भारतीय लेखांकन मानक	थ.	एनसीएल	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
छ.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय	द.	डब्लूसीएल	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
ज.	पी एंड एल	लाभ और हानि	ध.	सीएमपीडीआईएल	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
झ.	पीपीई	सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	न.	एनईसी	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
ञ.	एसपीपीआई	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान	प.	आईआईसीएम	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान
ट.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर	फ.	सीआईएल	कोल इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-3.1: संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाख में)

	फ्रीहोल्ड लैंड	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/साइट पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल आपूर्ति, रोड तथा पुलिया)	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरणों	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन आधार संरचना	स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट्स (एसएए)8	परिसंपत्तियां का सर्वे ऑफ	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:																
01.04.2023 के अनुसार						5.80		-					-			5.80
परिवर्धन																-
विलोपन / समायोजन																-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-		-	-	-	5.80
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	5.80		-	-	-	-		-	-	-	5.80
परिवर्धन																-
विलोपन / समायोजन																-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-	5.80	-	-	-	-	-		-	-	-	5.80
संचित मूल्यह्रास और हानि																
01.04.2023 के अनुसार						5.04		-								5.04
वर्ष के लिए प्रभार						0.15		-								0.15
विलोपन / समायोजन																-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	5.19	-	-	-	-	-		-	-	-	5.19
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	5.19	-	-	-	-	-		-	-	-	5.19
वर्ष के लिए प्रभार						-		-								-
विलोपन / समायोजन																-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-	5.19	-	-	-	-	-		-	-	-	5.19
संचित हानि																
01.04.2023 के अनुसार																-
वर्ष के लिए प्रभार																-
विलोपन / समायोजन																-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

	फ्रीहोल्ड लैंड	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/साइट पुनर्स्थापन लागत	भवन (जल आपूर्ति, रोड तथा पुलिया)	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरणों	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	अन्य खनन आधार संरचना	स्ट्रिपिंग एक्टिविटी एसेट्स (एसएए)8	परिसंपत्तियां का सर्वे ऑफ	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार																-
विलोपन / समायोजन																-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि																
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-	0.61	-	-	-	-	-		-	-	-	0.61
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	0.61	-	-	-	-	-		-	-	-	0.61

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-3.2: पूँजीगत कार्य प्रगति (₹ लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्वर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	अन्य अवसंरचना/ विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरीडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
01.04.2023 के अनुसार				-				
परिवर्धन				-				
पूंजीकरण/विलोपन								
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-				
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-				
परिवर्धन				-				
पूंजीकरण/विलोपन								
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
संचित हानि								
01.04.2023 के अनुसार								-
वर्ष के लिए प्रभार								-
विलोपन/ समायोजन								-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार								-
विलोपन/ समायोजन								-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि								
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2.1. पूंजीगत कार्य-प्रगति की आयु निर्धारण अनुसूची (सकल):

	वर्तमान में प्रगति पर पूंजीगत कार्य की मात्रा				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर चल रही परियोजनाएँ:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग्स					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन					-
सौर परियोजना					-
अन्य					-
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग्स					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
कुल	-	-	-	-	-

	31-03-2024 तक प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की मात्रा				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर चल रही परियोजनाएँ:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग्स					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
रेल कॉरिडोर निर्माणाधीन					-
सौर परियोजना					-
अन्य					-
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित:					
भवन (जलापूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग्स					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
कुल	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3.3 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2023 के अनुसार	
योग	
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/ विलोपन	
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-
योग	
पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/ विलोपन	
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-
संचित हानि	
01.04.2023 के अनुसार	
वर्ष के लिए प्रभार	
विलोपन/ समायोजन	
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	
विलोपन/ समायोजन	
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-
शुद्ध वहन राशि	
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-

अन्वेषण और मूल्यांकन

3.3.1. आयु निर्धारण अनुसूची अन्वेषण और मूल्यांकन (सकल)

	31-03-2025 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर चल रही परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	-	-	-	-	-
	31-03-2024 तक अन्वेषण और मूल्यांकन में राशि				
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर चल रही परियोजनाएँ:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित:					
अन्वेषण और मूल्यांकन					-
कुल	-	-	-	-	-
3.3.2. अतिदेय सामग्री अन्वेषण और मूल्यांकन					
		में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
प्रगति पर चल रही परियोजनाएँ:					
कुल		-	-	-	

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3.4 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	"कंप्यूटर सॉफ्टवेर"	अमूर्त अन्वेषण परिसंपत्तियाँ	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि: :					
01.04.2023 के अनुसार					-
योग					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
योग			-		-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-
संचित परिशोधन					
01.04.2023 के अनुसार					-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन/ समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-
संचित हानि					
01.04.2023 के अनुसार					-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार			-		-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-

टिप्पणी 3.5: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

	विकासाधीन ईआरपी	रेल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है1	कुल
वहन राशि:			
01.04.2023 के अनुसार	-		-
योग	-		-
पूंजीकरण/विलोपन	-		-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-
योग		-	-
पूंजीकरण/विलोपन		-	-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-
संचित परिशोधन			
01.04.2023 के अनुसार	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार			-
विलोपन/ समायोजन			-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-
01अप्रैल, 2024 के अनुसार	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार			-
विलोपन/ समायोजन			-
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-
शुद्ध वहन राशि			
31 मार्च, 2025 के अनुसार	-	-	-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 4.1 : निवेश

(₹ लाख में)

	होल्डिंग का %	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
गैर चालू निवेश			
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)		-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)		-	-
कुल		-	-

चालू			31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
म्यूचुअल फंड (अउद्धृत)	**इकाइयां**	**एनएवी (₹)**		
अन्य				
अन्य (सुरक्षित बांड में निवेश- उद्धृत)			-	-
कुल			-	-

4.1.1 उद्धृत/अउद्धृत निवेश के बाजार मूल्य का विवरण

	गैर-चालू		चालू	
	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
गैर-उद्धृत निवेश की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि::	-	-	-	-
गैर-उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-	-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि:	-	-	-	-

टिप्पणी- 4.2 : ऋण

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
गैर-चालू		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	
- क्रेडिट हानि	-	
	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	
		-
कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों के लिए ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	
- क्रेडिट हानि	-	
	-	
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
	-	-
ब्याज रहित अग्रिम पर आस्थगित परिसंपत्ति		
कुल		
संबंधित पक्षों को ऋण		
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया		
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया		
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि		
- क्रेडिट हानि		
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता 4.2.1		

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों के लिए ऋण	-	
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
	-	
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल	-	-
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता 4.2.1		
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण		
कॉर्पोरेट निकाय और कर्मचारियों के लिए ऋण	-	
- सुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	-
- असुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट हानि	-	-
	-	
घटाव : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	-	-
कुल		
4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-
4.2.2 संबंधित पक्षों को ऋण के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें		
टिप्पणी : 4.3 : व्यापार से प्राप्य	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
सुरक्षित, जिसे अच्छा माना गया	-	
असुरक्षित जिसे अच्छा माना गया	-	
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	
	-	-
घटाएँ : अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता4.3.1	-	
कुल	-	-

4.3.1 कंपनी ने व्यापार प्राप्तियों के क्रेडिट घाटे के लिए भत्ता निर्धारण करने में प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते की गणना करके व्यावहारिक सुविधा का उपयोग किया है। प्रावधान मैट्रिक्स ऐतिहासिक क्रेडिट हानि अनुभव और भविष्य की जानकारी को ध्यान में रखता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ता देय प्राप्तियों की कार्य अवधि और प्रावधान मैट्रिक्स में उपयोग की जाने वाली दरों पर आधारित है।

अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

7. व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2024 तक

	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
विवरण	**बगैर बिल बकाया**	**6 महीने से कम**	**6 महीने 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
कुल		-	-	-	-	-	-
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता							-
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %		0%	0%	0%	0%	0%	0%

31.03.2024 तक

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						
Particulars	**बगैर बिल बकाया**	**6 महीने से कम**	**6 महीने 1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
कुल		-	-	-	-	-	-
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता							-
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %		0%	0%	0%	0%	0%	0%

टिप्पणी : 4.4 : नगद एवं नगद समकक्ष	**31.03.2024 तक**		**31.03.2024 तक**
बैंक के साथ शेष			
-जमा खातों में	1,915.71		1,848.14
- चालू खाते में	1.51		3.38
भारत के बाहर बैंक शेष	-		-
प्राथमिक डीलरों के साथ आईसीडी4.4.1	-		-
चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प हाथ में	-		-
हाथ में नकदी	-		-
भारत के बाहर नकदी उपलब्ध	-		-
अन्य 4.4.2	-		
कुल	**1,917.21**		**1,851.52**

4.1 नकद और नकद समतुल्य में बैंक और पास में नकद स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाएं शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 4.5 : अन्य बैंक शेष	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
बैंकों के साथ शेष		
जमा	-	
जमा खाते (विशिष्ट उद्देश्यों के लिए 4.5.1)	-	
कुल	-	-

4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमाराशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/चिह्नित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए रखी हैं।

4.5.2 अन्य बैंक शेष में विशिष्ट प्रयोजनों के लिए और बैंक में जमा राशियां, जिनकी रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर नकदी में वसूली होने की उम्मीद है,शामिल हैं। - नोट 16 का पैरा 4(डी) देखें।

टिप्पणी - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
गैर-चालू		
सुरक्षा जमा	-	
घटाएँ : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	-	-
	-	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमाराशि	-	
खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमाराशि4.6.2	-	
	-	-
वित्त पट्टा प्राप्य4.6.4	-	-
अन्य जमा और प्राप्य4.6.5	.	-
घटाएँ: संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता4.6.1	-	
	-	-
कुल	-	-
चालू		
सुरक्षा जमा	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
घटाएँ : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	-	-
	-	-
मुख्यालय, होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता शेष	-	-
घटाएँ: सहायक कंपनियों के साथ संदिग्ध शेष के लिए भत्ता	-	
	-	-
		-
अर्जित ब्याज	69.22	4
वित्त पट्टा प्राप्य5	-	**67.21**
अन्य जमा और प्राप्य	2,413.49	9
घटाएँ: संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता4.6.1	-	2,413.49
	2,413.49	2,413.49
कुल	**2,482.72**	**2,480.70**

4.6.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (चालू एवं गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

4.6.2 खदान बंदी योजना के तहत बैंक में जमा राशि

खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए एक एस्क्रो खाता खोला गया है। एस्क्रो खाते में अर्जित ब्याज सहित जमा की गई कुल राशि का 50% तक दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद करने की योजना की आवधिक जांच के अनुरूप हर पांच साल के बाद जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली/खदान बंद करने के प्रावधान के लिए नोट 9.1 देखें)।

	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
एस्क्रो खाते में प्रारंभिक शेष राशि	-	
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि		
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज (टीडीएस के बाद शुद्ध)		
घटाएँ: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि		
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते में शेष राशि	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

4.6.4 पट्टा

वित्त पट्टा

(i)पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में चिन्हित प्राप्त राशियाँ:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती	-	-
कुल	-	-

(ii) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

परिचालन लीज़

(iii) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	As at 31.03.2025	31.03.2024 तक
पट्टा आय	-	-
"परिवर्तनीय लीज़ भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं करती है"	-	-
कुल	-	-

(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

(v) 30.06.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

(vi) 31.03.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

4.6.6 निदेशकों से बकाया राशि के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

टिप्पणी - 5.1 : इन्वेंटरी	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
कोयला (तैयार माल)	-	
विकास परियोजनाओं में कोयला	-	-
घटाएँ: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
	-	-
भंडार, पुर्जे और अन्य मालसूची (शुद्ध) 5.1.3	-	-
घटाएँ: धीमी गति से चलने वाली, गैर-चलने वाली और अप्रचलित मालसूची के लिए प्रावधान		
	-	-
कुल	-	-
5.1.1 मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में बदलाव का ब्यौरा		
कोयला (तैयार माल)	-	-
विकास परियोजनाओं में कोयला	-	-
घटाएँ: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

5.1.2 स्टोर और स्पेयर की सूची में वे आइटम शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाले, अचल और अप्रचलित की श्रेणियों में आते हैं। इन वस्तुओं के लिए कंपनी की नीति के अनुसार प्रावधानों को मान्यता दी जाती है।

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त		
अवधि के दौरान उपयोग की गई		
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

5.1.3 उपरोक्त अन्य सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, दवा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।

टिप्पणी - 6.1: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
पूंजीगत अग्रिम	-	-
घटाएँ : संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता6.1.1	-	
	-	-
पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य जमा और अग्रिम	-	-
घटाएँ : संदिग्ध जमा के लिए भत्ता6.1.1	-	
	-	-
प्रगतिशील खदान बंद करने पर होने वाला व्यय6.1.2	-	
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	-	-
कुल	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

6.1.1 खराब और संदिग्ध जमा और प्राप्य (गैर-चालू) के लिए भत्ते में आंदोलन का विवरण		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

6.1.2 उपर्युक्त व्यय, खदान बंदी योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त समवर्ती व्यय को दर्शाता है।

6.1.3 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

टिप्पणी - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	
घटाएँ: संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता6.2.1	-	
	-	-
अन्य जमा और अग्रिम6.2.2 और 6.2.3	94.79	94.79
घटाएँ: संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता6.2.1	-	
	94.79	257.47
प्रगतिशील खदान बंद होने पर हुए व्यय 6.1.2	-	
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य 6.2.4	-	
कुल	**94.79**	**94.79**

अन्य अग्रिम एवं जमा से तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए विरोध स्वरूप जमा किया गया आयकर 94.79 लाख रुपये से है।

6.2.1 खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों तथा जमाओं के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (वर्तमान)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि		
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त		
अवधि के दौरान उपयोग की गई		
अवधि के अंत में शेष राशि		

नोट - 7.1 : इक्विटी शेयर पूंजी	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूंजी		
35100000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए (P.Y.35100000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए)	3,510.00	3,510.00
कुल	**3,510.00**	**3,510.00**

7.1.2 रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान समाधान:- (रु. लाख में)

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	24570000	70	0	70	0
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	5265000	15	0	15	0
एनएलसी इंडिया लिमिटेड	5265000	15	0.000	15	0.00%

7.1.2 रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान समाधान:- (रु. लाख में)

विवरण	शेयरों की संख्या	राशि
31.03.2019 को शेष राशि	35,100,000	3,510.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2020 को शेष राशि	35,100,000	3,510.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2021 को शेष राशि	35,100,000	3,510.00

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन		
31.03.2022 को शेष राशि	35,100,000	3,510.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	35,100,000	3,510.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2024 तक शेष राशि	35,100,000	3,510.00
समाप्त वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2024 तक शेष राशि	35,100,000	3,510.00

इस प्रकार, 31.03.2025 तक भारत सरकार के पास शेयरों की संख्या कुल बकाया 35100000 शेयरों का 15% थी।

7.1.3 कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं, जिनका अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

नोट - 7.2: अन्य इक्विटी	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
पूंजी मोचन रिजर्व	-	-
पूंजी रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व	-	-
प्रतिधारित आय	861.04	789.59
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	**861.04**	**789.59**

(क) पूंजी मोचन रिजर्व	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
	-	
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान जोड़		-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि		

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयर फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से खरीदती है, इस तरह खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाती है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ii) पूंजी मोचन रिजर्व का विवरण

विवरण	**राशि (₹लाखों में)**	**वर्ष**
इक्विटी शेयर की पुनर्खरीद		
कुल	**0**	

(ख) पूंजी रिजर्व	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

(ग) सामान्य रिजर्व	**31.03.2024 तक**	**31.03.2024 तक**
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान समायोजन		-
सामान्य रिज़र्व में/से स्थानांतरण	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

सामान्य रिज़र्व एक मुक्त रिज़र्व है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

(घ) (i) प्रतिधारित आय	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	789.59	663.17
अवधि के लिए लाभ	71.45	126.42
अंतरिम लाभांश	-	
अंतिम लाभांश	-	
वर्ष के दौरान समायोजन (मुख्यालय में स्थानांतरण)	-	-
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	-	
अवधि के अंत में शेष राशि	**861.04**	**789.59**

(घ) (ii) अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा(i)		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-
कुल (घ(i) + (ii))	**861.04**	**789.59**

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) (कर के बाद शुद्ध)शामिल है
(ii) प्रतिधारित आय कंपनी का अब तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोजनों को घटाकर प्राप्त की गई है।

(ड़) अन्य व्यापक आय की मदें
(अन्य व्यापक आय मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
बाह्य परिचालन के वित्तीय विवरणों के अंतरण पर विनिमय मतभेद		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि		-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय		-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा		-
अवधि के दौरान समायोजन		-
अवधि के अंत में शेष राशि		-

टिप्पणी - 8.1 : उधार	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
गैर-चालू		
सावधि ऋण		
बैंकों से 8.1.1 और 8.1.2		
सुरक्षित	-	
असुरक्षित	-	-
अन्य से8.1.3		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
	-	-
चालू		
बैंक से		
सुरक्षित		
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-
दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता 8.1.1	-	-
	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 8.2: पट्टा देयताएं

गैर - चालू	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि		
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत		
पट्टा देनदारियों का भुगतान		
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-
चालू		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
अवधि के दौरान वृद्धि	-	
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	-	
पट्टा देनदारियों का भुगतान	-	
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-

8.2.1 बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-वर्तमान और चालू):

विवरण	As at 31.03.2025	As at 31.03.2024
1 वर्ष तक		
1-5 वर्ष		
5 वर्ष से अधिक		

8.2.2 30.09.2024 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि					
इमारत					
संयंत्र एवं उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहनें					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

31.03.2024 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यह्रास/ परिशोधन
भूमि					
इमारत					
संयंत्र एवं उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहनें					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

पट्टे की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें कई तरह के अलग-अलग नियम और शर्तें शामिल होती हैं। प्रत्येक पट्टे में आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि जब तक कंपनी के पास संपत्ति को किसी अन्य पक्ष को उप-पट्टे पर देने का कोई संविदात्मक अधिकार न हो, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का उपयोग केवल कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है।

अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर, प्रत्येक पट्टे को बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता के रूप में दर्शाया जाता है। अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य के पट्टों के लिए किए गए भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष आधार पर व्यय किया जाता है।

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं में दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के तहत उपयोग के लिए समर्पित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसा कि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

8.2.3 लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

विवरण	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	-	-
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज व्यय	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय		
बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाला लाभ या हानि		
	-	-

8.2.4 नकदी प्रवाह विवरण में पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाह का खुलासा

विवरण	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वित्तीय पट्टा देनदारियों का भुगतान	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकद निकासी		
	-	-

टिप्पणी - 8.3 : व्यापार देयताएं

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
चालू		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल बकाया राशि	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	-	-
कुल	-	-

8.3.1 व्यापार देयताएं आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2025 तक

	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
विवरण	**एक वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई					-
ii) अन्य					-
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई					-
iv) विवादित बकाया -अन्य					-
v) बिल न किया गया बकाया					-
कुल	-	-	-	-	-

31.03.2024 तक

	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
विवरण	**एक वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
i) एमएसएमई					-
ii) अन्य					-
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई					-
iv) विवादित बकाया -अन्य					-
v) बिल न किया गया बकाया					-
कुल	-	-	-	-	-

टिप्पणी - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं

	31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**
गैर-चालू		
सुरक्षा जमा	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-

मौजूदा

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

एमसीएल के साथ चालू खाता	224.64	181.37
एमसीएल के साथ चालू खाता	0.70	0.70
सुरक्षा खाता	1.01	1.01
बयाना राशि	-	-
पूंजीगत व्यय के लिए देय	2.00	3.00
अन्य8.4.2 और 8.4.3	6.94	9.44
कुल	**235.29**	**195.51**

टिप्पणी - 9.1 : प्रावधान	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
गैर-चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-
	-	-
अन्य प्रावधान		
साइट बहाली/खदान बंद करना [9.1.3]	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन [9.1.2]	-	-
अन्य	-	-
कुल	-	-
चालू		
कर्मचारी लाभ		
ग्रेच्युटी	-	-
छुट्टी नकदीकरण	-	-
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	-	-
अनुग्रह राशि	-	-
प्रदर्शन से संबंधित वेतन	-	-
अन्य कर्मचारी लाभ [9.1.4]	-	-
	-	-
साइट बहाली/ खदान बंद करना	-	-
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	-	-

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

भारतीय मानक लेखांकन -37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं।

	वर्ष की शुरुआत में संतुलन	**अवधि के दौरान प्रभारित**	**अवधि के दौरान उपयोग किया गया**	**अवधि के अंत में शेष राशि**
अनुग्रह राशि	-	-	-	0.00
प्रदर्शन से संबंधित वेतन	-	-	-	0.00
अन्य कर्मचारी लाभ	-	-	-	0.00
अन्य	-	-	-	0.00

9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (वर्तमान और गैर-वर्तमान) में गतिविधि का विवरण

	31.03.2025 तक	**31.03.2024 तक**
(ii) अनुपात भिन्नता आरक्षित निधियाँ		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
वर्ष के दौरान उलट	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि		
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (i-ii)	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

भूमि पुनर्ग्रहण/स्थल पुनरुद्धार/खदान बंद करने का समाधान :

	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक
उद्घाटन तिथि पर साइट बहाली प्रावधान	0.00	
साइट बहाली प्रावधान का जोड़	-	
जोड़ें: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान की वापसी	0.00	0.00
घटाएँ: अवधि के दौरान निकासी	-	
खदान बंद करने का प्रावधान	**0.00**	**0.00**

टिप्पणी - 10.1 : अन्य गैर चालू देयताएं

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य	-	
कुल	-	-

टिप्पणी - 10.2 : अन्य चालू देयताएं

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
वैधानिक बकाया	0.40	0.30
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम राशि	-	
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य देयताएँ2	-	-
कुल	**0.40**	**0.30**

टिप्पणी - 11.1 : कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
आयकर संपत्तियाँ		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	322.53	428.26
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	43.71	3.11
अवधि के दौरान उलटफेर/वापसी	-	(108.84)
अवधि के समापन पर शेष राशि	390.18	322.53
आयकर देयताएँ		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	254.75	218.27
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	24.03	42.52
अवधि के दौरान उलटफेर/समायोजन		6.04
अवधि के समापन पर शेष राशि	278.78	254.75
अंत में शुद्ध आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)	**111.40**	**67.78**
इस प्रकार खुलासा किया गया:		
गैर चालू		
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	-	-
आयकर देयताएं (शुद्ध)	-	-
चालू		
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	-	67.78
आयकर देयताएं (शुद्ध)	-	-
	-	67.78

टिप्पणी - 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	01.04.2023 तक शेष राशि	अवधि के दौरान लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त/(उलट)	अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31.03.2025 तक शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
संदिग्ध अग्रिम, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान				-
कर्मचारी लाभ				-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

अन्य				-
(क) का योग	-	-	-	-
आस्थगित कर देयता:				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों से संबंधित				-
अन्य	-			-
(ख) का योग	-	-	-	-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (ग= क-ख)	-	-	-	-
"घ. परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन DTL(+)/DTA(-)"	-			-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (ड़ =ग+घ)	-	-	-	-

इस प्रकार खुलासा किया गया:	**31.03.2025 तक**	**31.03.2024 तक**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	-	-
विलम्बित टैक्स देयता	-	-
	-	-

(₹ लाख में)

टिप्पणी - 12.1 : संचालन से राजस्व	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
विक्रय		
विक्रय	-	
घटाव: वैधानिक लेवी	-	
विक्रय (शुद्ध) (ए) [12.1.1, 12.1.2 **और** 12.1.3]	-	-
ख. अन्य संचालन राजस्व		
रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी	-	-
लदान एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	-	
घटाव: वैधानिक लेवी	-	
	-	-
निकासी सुविधा शुल्क		
घटाव: वैधानिक लेवी		
	-	-
सेवाओं से राजस्व4	-	
घटाव: वैधानिक लेवी	-	
	-	-
अन्य परिचालन राजस्व (निवल) (ख)	-	-
संचालन से राजस्व (क+ख)	-	-

टिप्पणी- 12.2 : अन्य आय	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
ब्याज आय12.2.1	128.56	104.32
म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	-
अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)		
परिसंपत्ति की विक्रय पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
म्यूचुअल फंड के विक्रय पर लाभ	-	-
पट्टा किराया [12.2.2]	-	-
प्रावधान वापस लिखा गया [12.2.2]	-	-
दायित्व वापस लिखा गया	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

उचित मूल्य परिवर्तन (निवल)	-	-
विविध आय [12.2.3]	-	111.79
कुल	**128.56**	**216.11**

12.2.1 आयकर रिफ़ंड पर ब्याज शामिल है ₹ 111.79 लाख (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

12.2.2 वापस लिखे गए प्रावधान का विवरण

निगम और कर्मचारियों को दिए गए ऋण के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	-	-
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.2.1)	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	-	-

टिप्पणी 13.1: सामग्री खपत की लागत

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	-	
लकड़ी	-	
तेल और लुब्रिकेंट	-	
एचईएमएम पुर्जे	-	
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जे	-	
कुल	-	-

नोट - 13.1(ए) : स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद

स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	-	-

टिप्पणी 13.2: तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य प्रगति पर और व्यापार में स्टॉक

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले की सूची में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	-	
राजस्व में लाया गया आरंभिक स्टॉक	-	-
वर्ष के समापन पर स्टॉक	-	
	-	-
कार्यशाला और प्रेस जॉब्स की इन्वेंट्री में बदलाव		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	-	
वर्ष के अंत में स्टॉक	-	
	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरी [13.3.1 & 13.3.2]	13.53	32.28
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	-	-
कर्मचारी कल्याण व्यय	0.96	0.27
कुल	**14.48**	**32.55**

वित्तीय विवरणि के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 13.4 : वित्तीय लागत	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय		
छूट की समाप्ति	-	
उचित मूल्य में परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
अन्य उधार लागत13.4.1	14.61	10.92
कुल	**14.6**	**10.92**

टिप्पणी - 13.5: मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि	-	0.15
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	-	-
प्रगति में पूंजीगत कार्य (नोट 3.2)	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (नोट 3.3)	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.4)	-	-
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.5)	-	0.15
घटाव :	-	
कोयला खदानों के विकास के दौरान व्यय में स्थानांतरित	-	
कुल	-	0.15

वर्ष के दौरान कंपनी ने तकनीकी रूप से संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी कार्यकाल का मूल्यांकन और समीक्षा की है। लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/परिशोधन में ₹ 0.00 की वृद्धि (कमी) हुई है। भविष्य की अवधि में प्रभाव की घोषणा नहीं की गई है क्योंकि इसका अनुमान लगाना अव्यवहारिक है।

टिप्पणी - 13.6 : स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले तक बेहतर पहुंच	-	
अनुपात भिन्नता रिजर्व	-	
	-	-

13.6.1 अग्रिम स्ट्रिपिंग से तात्पर्य उस अवधि के दौरान अतिरिक्त भार हटाने से है जो उस अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अग्रिम स्ट्रिपिंग को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिससे किसी परियोजना (खदान) में कोयले तक पहुँच में सुधार होता है।

टिप्पणी - 13.7: संविदागत व्यय	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क	-	
वैगन लोडिंग	-	
प्लांट और उपकरणों को किराए पर लेना	-	
अन्य संविदात्मक कार्य	-	
कुल	-	-

टिप्पणी - 13.8 : अन्य व्यय	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली खर्च	-	-
मरम्मत और रखरखाव		
-बिल्डिंग	-	-
-प्लांट और उपकरण	-	-
-अन्य	-	-
यात्रा खर्च	-	-
प्रशिक्षण खर्च	-	-
टेलीफोन और इंटरनेट	-	-
विज्ञापन और प्रचार	-	-
माल ढुलाई शुल्क	-	-
विलंब	-	-

वित्तीय विवरणि के लिए टिप्पणियाँ

अंडर लोडिंग शुल्क	-	-
कोयला नमूनाकरण शुल्क	-	-
सुरक्षा व्यय	-	-
कानूनी खर्च	-	-
सीआईएल के सेवा शुल्क	-	-
परामर्श शुल्क	1.05	0.66
सेवा शुल्क (सीएमपीडीआई)	-	-
संपत्तियों की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	-	-
ऑडिटर का पारिश्रमिक और व्यय		
ऑडिट फीस के लिए	1.18	1.06
कर मामलों के लिए	-	-
अन्य सेवाओं के लिए	-	-
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए।	0.59	0.53
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	-	-
पुनर्वास शुल्क	-	-
लीज़ किराया और किराये पर लेने के शुल्क1	0.02	-
दरें और कर	-	-
बीमा	-	-
विनिमय दर भिन्नता पर हानि	-	-
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	-	-
साइडिंग रखरखाव शुल्क	-	-
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	-	-
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	-
शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-	-
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय13.4.2	-	-
दान, पुरस्कार और अनुदान	-	-
प्रावधान13.4.1	-	-
बट्टे खाते में डालना (पहले से मान्यता प्राप्त प्रावधानों के बट्टे खाते में डालने के बाद)	-	-
विविध व्यय	1.15	1.29
कुल	**3.99**	**3.55**

13.4.1 प्रावधानों का विवरण

निगम और कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	-	-
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.2.1)	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	-	-

13.8.2 सीएसआर व्यय का अनुलग्नक

(₹ लाख में)

	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
क. सीएसआर व्यय का गतिविधिवार ब्यौरा (अतिरिक्त व्यय सहित):		
भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन	-	-
विशेष शिक्षा और रोजगार सहित व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना		
लैंगिक समानता और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों द्वारा सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	-	-
पर्यावरणीय स्थिरता	-	-
राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण	-	-
सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों को लाभ	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

ग्रामीण खेल, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल, पैरालम्पिक खेल और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित कोष में योगदान	-	-
इनक्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में योगदान	-	-
विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों में योगदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	-	-
स्लम क्षेत्र विकास	-	-
आपदा प्रबंधन, जिसमें राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण गतिविधियाँ शामिल हैं	-	-
प्रशासनिक व्यय		
कुल	-	-

बी.) खर्च किए जाने वाले सीएसआर की आवश्यक राशि और सीएसआर व्यय का ब्यौरा

(क) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत शुद्ध लाभ का 2%)

(ख) वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि

(ग) वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर व्यय की गई राशि:

(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण

(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर

कुल	-	-

सी.) मान्यता प्राप्त सीएसआर व्यय और व्यय किए गए सीएसआर व्यय का मिलान	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
प्रारंभिक जमा		
6 माह के भीतर अनुसूची VII के विशिष्ट कोष में जमा किया जाना चाहिए		
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि		
वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		
लाभ-हानि में मान्यता प्राप्त राशि		

डी. चालू परियोजना के अलावा अन्य अप्रयुक्त राशि [धारा 135(5)]	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**
आरंभिक शेष		
अनुसूची VII के विशिष्ट कोष में 6 महीने के भीतर जमा किया गया		
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि		
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		

ई) अधिक व्यय की गई राशि [धारा 135(5)]

1 (₹ लाख में)

वर्षवार विवरण	**प्रारंभिक जमा**	**वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि**	**वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि**	**जमा शेष**
2021-22				
2022-23				
2023-24				
2024-25				
कुल				

अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अन्य अग्रिम और जमाराशियों के लिए फ़ुटनोट देखें

(एफ) अव्ययित चालू परियोजना [धारा 135(6)] (वर्षवार)	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए**

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

प्रारंभिक जमा	कंपनी के साथ		
	अलग सीएसआर खाते में		
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि			
वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	कंपनियों के बैंक खाते से		
	अलग सीएसआर खाते में		
जमा शेष	कंपनी के साथ		
	अलग सीएसआर खाते में		

जी) सीएसआर व्यय की देयता के लिए प्रावधान	**31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए**
प्रारंभिक जमा	
अवधि के दौरान वृद्धि	
वर्ष के दौरान समायोजन	
जमा शेष	

टिप्पणी 38: 31.12.2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1 (क) आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी पर किए गए दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ लाख में)

	केन्द्रीय सरकार	**राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण**	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**	**अन्य**	**कुल**
दिनांक 01-04-2024 तक प्रारम्भिक शेष					-
वर्ष के दौरान योग					-
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से					-
ख. वर्ष के दौरान योग से					-
31.03.2025 को समापन					-

(₹ लाख में)

	केन्द्रीय सरकार	**राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण**	**केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम**	**अन्य**	**कुल**
दिनांक 01-04-2023 तक प्रारम्भिक शेष					-
वर्ष के दौरान योग					-
अवधि के दौरान निपटाए गए दावे					
क. प्रारम्भिक शेष से					-
ख. वर्ष के दौरान योग से					-
31.03.2024 को समापन					-

(₹ लाख में)

आकस्मिक देयता			
क्रमांक	**विवरण**	**31.03.2025**	**31.03.2024**
1	केन्द्रीय सरकार आय कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्वच्छ ऊर्जा उपकर केंद्रीय विक्रय कर सेवा कर अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	94.79	94.79
	उप-योग	94.79	94.79
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण रॉयल्टी		

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

	पर्यावरण मंजूरी विक्रय कर/वैट प्रवेश कर विद्युत शुल्क अन्य		
	उप-योग	-	-
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम मध्यस्थता कार्यवाही कंपनी के अधीन मुक़दमेबाज़ी के विरुद्ध मुकदमा अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) उप-योग	- - - -	- - - -
4	अन्य: (यदि कोई हो) विविध - भूमि एवं अन्य कर्मचारी संबंधित और आदि उप-योग	-	-
	कुल योग	94.79	94.79

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत मामलों के निपटान में कोई रुचि अपेक्षित नहीं है, सिवाय इसके कि जहां प्रबंधन का प्रतिकूल दृष्टिकोण हो।

कंपनी के प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त परिणाम से कंपनी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1. आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए आयकर की माँग की है और उसे विरोध के तहत जमा कर दिया गया है और आदेश के विरुद्ध सीआईटी (अपील), संबलपुर में अपील दायर की गई है। सीआईटी (अपील) ने आयकर अधिकारी द्वारा वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए की गई माँग पर एमएनएच शक्ति लिमिटेड को अनुकूल आदेश दिया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 में विरोध के तहत जमा राशि 94.79 लाख रुपये है।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ: आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभ के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

II. गारंटी

31.03.2025 तक जारी बैंक गारंटी ₹ 0.00 लाख (P.Y.₹ 0.00 लाख) है).

III. साख पत्र

31.03.2024 तक बकाया साख पत्र शून्य (P.Y. शून्य) है।

b) प्रतिबद्धताएँ

31.03.2024 तक शून्य

2 संबंधित पार्टी की जानकारी

क) समूह की जानकारी

i) प्रमोटर कंपनियाँ

क्रमांक	इकाई का नाम	मुख्य गतिविधियाँ	इसके निगमन का देश	% इक्विटी ब्याज	
				31.03.2025	31.03.2024
	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	विविधीकृत	भारत	15	15
	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	बिजली/लिग्नाइट खनन	भारत	15	15
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	70	70

II दिनांक 31.03.2025 को बकाया शेष राशि और उसके बाद समाप्त अवधि के लिए लेनदेन"

संबंधित पार्टियों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	प्रदत्त लाभांश	परिसंपत्तियों की बिक्री	एमसीएल के साथ चालू खाते पर ब्याज	अन्य	चालू खाता शेष देय / प्राप्य	बकाया शेष (देय) / प्राप्य
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड						14.61	224.64	
हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड								
एनएलसी इंडिया लिमिटेड								
कुल	-	-	-	-	-	14.61	224.64	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

iii) **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री जे. के. बोरा (डीआईएन: 9632444)	अध्यक्ष	06.12.2021
सुश्री गीतिका आनंद (डीआईएन)	निदेशक	20.07.2023
श्री. एस. सी. सुमन (डीआईएन: 09549424)	निदेशक	08.06.2022
श्री एम. पी. दरगर (DIN: 10597656)	निदेशक	21.03.2024
श्री रजत कु जैन	सीईओ	12.08.2024
श्री बी. नायक	सीईओ	08.01.2025
श्री एम. तिवारी	सी एस	20.10.2022

iv) **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक**

(₹ लाख में)

क्रम सं.	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2025	31.03.2024
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
क	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान	5.00	4.85
ख	स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस	-	-
ii)	नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ	-	0
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ		
iv)	समाप्ति लाभ		-
v)	शेयर आधारित भुगतान		
	कुल	**5.00**	**4.85**

टिप्पणी:

VI) **प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया राशि का संतुलन** **(₹ लाख में)**

क्रम सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i)	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्य राशि	-	-

VIII) **कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां उन फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।**

3 **अन्य**

a) **अधिकृत पूंजी** (रु. लाख में)

	31.03.2025	31.03.2024
₹ 10/- प्रत्येक के 100000000 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता	10000.00	10000.00

4 **उचित मूल्य माप**

(क) **वर्गवार वित्तीय साधन** **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2025		31-03-2024	
	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
सुरक्षित बॉन्ड				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी			0	
ऋण			0	
जमा एवं प्राप्य		2,482.72		2,480.70
व्यापार प्राप्य*				
नगद एवं नगद समतुल्य		1,917.21		1,851.52
अन्य बैंक शेष				
वित्तीय देयताऐं				
उधार				

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

व्यापार देय				
प्रतभिूति जमा एवं बयाना राशि		1.71		1.71
पट्टा देयताएं				
अन्य देयताऐं				
Lease Liabilities				
Other Liabilities				

*** कोयला गुणवत्ता भिन्नता हेतु भत्ता व्यापार प्राप्य से काटा गया।**

(b) **उचित मूल्य अनुक्रम**

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जिन्हें (a) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और मापा जाता है और (b) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों की घोषणा की जाती है । उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में संकेत देने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया	31-03-2025		31-03-2024	
	स्तर 1	**स्तर 2**	**स्तर 2**	**स्तर 3**
एफ.वी.टी.पी.एल. में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसके लिए दिनांक 31.03.2025 को उचित मूल्यों का प्रकटन किया जाता है।	31-03-2025		31-03-2024	
	स्तर 1	**स्तर 3**	**स्तर 1**	**स्तर 3**
वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
सुरक्षित बॉन्ड				
ऋण				
जमा एवं प्राप्य		2,482.72		2,480.70
व्यापार प्राप्य*				
नगद एवं नगद समतुल्य		1,917.21		1,851.52
अन्य बैंक शेष				
वित्तीय देनदारियाँ				
उधारी				
व्यापार देयताएं				
वित्तीय देयताऐं				
उधार		1.71		1.71
व्यापार देय				
प्रतिभूति जमा एवं बयाना राशि				
पट्टा देयताएं				
अन्य देयताऐं				

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल है जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं तो साधन को शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में शामिल निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के मामले में लागू होता है।

(c) **उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक**

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में साधनों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(d) **महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप**

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

(e) **परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य**

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

व्यापार प्राप्य, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के कार्य निशादन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहने प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोके रखने का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

5 **वित्तीय जोखिम प्रबंधन**

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्था को सामना करना पड़ता है तथा संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन किस प्रकार करती है।

जोखिम	इससे उत्पन्न जोखिम	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकदी और नकदी समकक्ष, व्यापार प्राप्य वित्तीय परिसंपत्ति जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है	समय अवधि विश्लेषण/ क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण
नकदी जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध ऋण सीमा और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम-विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम-ब्याज दर	नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त नकदी के निवेश को कवर करने वाली नीतियां भी प्रदान करता है।

ए. **ऋण जोखिम:**

ऋण जोखिम प्रबंधन:

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी शर्तों के भाग के रूप में शामिल किया जाता है

ईंधन आपूर्ति समझौते (FSAs)

जैसा कि नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों के अनुसार और उसके अनुसार, कंपनी ग्राहकों या राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू करने योग्य एफएसए में प्रवेश करती है जो बदले में अंतिम ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए को मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- राज्य विद्युत उपयोगिताओं, निजी विद्युत उपयोगिताओं ("पीपीयू") और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ("आईपीपी") सहित विद्युत उपयोगिता क्षेत्र के ग्राहकों के साथ एफएसए;
- गैर-विद्युत उद्योगों (कैप्टिव पावर प्लांट्स ("सीपीपी") सहित) के ग्राहकों के साथ एफएसए; तथा
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसए।

ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों को कोयले तक पहुँच प्रदान करने के लिए शुरू की गई है जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के माध्यम से अपनी कोयला आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरण के लिए, एनसीडीपी के तहत उनकी मानक आवश्यकता के पूर्ण आवंटन से कम, उनकी कोयला आवश्यकता की मौसमीता और कोयले की सीमित आवश्यकता जो दीर्घकालिक लिंकेज की गारंटी नहीं देती है। ई-नीलामी के तहत पेश किए जाने वाले कोयले की मात्रा की समय-समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाती है।
क्रेडिट जोखिम तब उत्पन्न होता है जब प्रतिपक्ष संविदात्मक दायित्वों पर चूक करता है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है। अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान: कंपनी संदिग्ध/क्रेडिट क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि के लिए आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (सरलीकृत दृष्टिकोण) द्वारा प्रावधान करती है। नोट - 13, व्यापार प्राप्य देखें

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

बी. **नगदी जोखिम**

विवेकपूर्ण तरलता जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण कंपनी का राजकोष प्रतिबद्ध ऋण लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखकर धन में लचीलापन बनाए रखता है।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (जिसमें अप्रयुक्त उधार सुविधाएँ शामिल हैं) और नकदी और नकदी समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

सी. बाजार ज़ोखिम

a) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है, जो ऐसी मुद्रा में मूल्यांकित होती हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी के पास एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

ख) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से उत्पन्न होता है, ब्याज दर में परिवर्तन के साथ, कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

6 कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (इंड एएस-19)

परिभाषित लाभ योजनाएँ

ए) उपदान

कंपनी ग्रेच्युटी, एक पोस्ट-एम्प्लॉयमेंट परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्युटी स्कीम) प्रदान करती है, जो पात्र कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी भुगतान कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है, जो कंपनी से अलग होने के समय अधिकतम ₹ 20 लाख के अधीन है, जैसा कि संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए किया जाता है। ग्रेच्युटी स्कीम के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है, जिसमें योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य घटाया जाता है। परिभाषित लाभ दायित्व की गणना प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्च्यूअरी द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है। अनुभव समायोजन और एक्च्यूरियल मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनर्मापन लाभ और हानि को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में।

ग्रेच्युटी स्कीम को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। एलआईसी सेवा के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कवरेज (लाइफ कवर सम एश्योर्ड- “”एलसीएसए””) भी प्रदान करता है। अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर सामान्य सेवानिवृत्ति तिथि पर देय अनुमानित ग्रेच्युटी राशि में कमी की भरपाई, अधिकतम 20 लाख रुपये की सीमा के अधीन होगी।

बी) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ – कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना है जिसे सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई) के रूप में जाना जाता है, जो अधिकारियों, उनके जीवनसाथियों और पूरी तरह से आर्थिक रूप से आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) को कंपनी के अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों या बाह्य रोगी/केवल भारत में निवास स्थान में किसी भी विकलांगता के 40% से कम नहीं होने पर छत की सीमा के अधीन चिकित्सा प्रदान करती है, जो कि सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या सामान्य कोयला कैडर के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति या समय-समय पर तैयार और लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण होती है। सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों की सेवाओं से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों को सदस्यता नहीं दी जाती है। सेवानिवृत्त अधिकारियों, जीवनसाथियों और आश्रित दिव्यांग बच्चे (बच्चों) के लिए संयुक्त रूप से या अलग-अलग पूरे जीवनकाल के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 25 लाख रुपये योजना के लिए देयता की पहचान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

सी) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, कंपनी गैर-अधिकारियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (सीपीआरएमएसई-एनई) प्रदान कर रही है, ताकि गैर-अधिकारियों और उनके जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) को कंपनी अस्पताल/सूचीबद्ध अस्पतालों या बाह्य रोगी/घरेलू में चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा सके, जो कि अधिकतम सीमा के अधीन है, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या कंपनी द्वारा चिकित्सा आधार पर अलग किए जाने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्ति के कारण, जो समय-समय पर तैयार और लागू की जाती है या 57 वर्ष या उससे अधिक की आयु में कंपनी से इस्तीफा दे देते हैं या जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चे(बच्चों) की मृत्यु हो जाती है। सेवानिवृत्त गैर-अधिकारियों और जीवनसाथी को संयुक्त रूप से या अलग-अलग मिलाकर पूरे जीवनकाल के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि 8 लाख रुपये है, योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

परिभाषित अंशदान योजनाएँ

ए) छुट्टी नकदीकरण

कंपनी अपने अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों की अर्ध-भुगतान छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्ध-वार्षिक आधार पर आनुपातिक रूप से अर्जित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों की ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। सेवा की अवधि के दौरान संचित एचपीएल को भुनाने की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ भुनाने के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-कार्यकारियों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित होता है और वर्तमान में कर्मचारी प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित छुट्टी का नकदीकरण पाने के हकदार हैं और मृत्यु, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति और वीआरएस के कारण सेवा बंद होने पर शेष छुट्टी या 150 दिन जो भी कम हो, नकदीकरण के लिए अनुमत है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों का निपटान सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी होने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिनकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के करीब होती हैं। इस योजना का वित्तपोषण भारतीय जीवन बीमा निगम की योग्य बीमा पॉलिसियों द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

बी) जीवन कवर योजना (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह के पास एक जीवन बीमा योजना है जिसे “कोल इंडिया लिमिटेड की जीवन बीमा योजना” (LCS) के रूप में जाना जाता है, जो सभी

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को कवर करती है। सेवा में मृत्यु के मामले में, 01.10.2017 से योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को 1,56,250 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब पहचानी जाती है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत देय लाभ होता है।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ए) नकदीकरण छोड़े

कंपनी अपने अधिकारियों को 30 दिनों की कुल अर्जित छुट्टी (ईएल) और 20 दिनों की अर्ध-भुगतान छुट्टी (एचपीएल) का लाभ प्रदान करती है, जो हर साल जनवरी और जुलाई के पहले दिन अर्ध-वार्षिक आधार पर आनुपातिक रूप से अर्जित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, 75% ईएल जमा शेष राशि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार भुनाई जा सकती है, जो अधिकतम 60 दिनों की ईएल नकदीकरण की सीमा के अधीन है। सेवा की अवधि के दौरान संचित एचपीएल को भुनाने की अनुमति नहीं है। सेवानिवृत्ति पर, ईएल और एचपीएल को एक साथ भुनाने के लिए माना जाता है, जो एचपीएल के कम्यूटेशन के बिना 300 दिनों की समग्र सीमा के अधीन है। गैर-कार्यकारियों के मामले में, छुट्टी नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित होता है और वर्तमान में कर्मचारी प्रति वर्ष 15 दिनों की दर से अर्जित छुट्टी का नकदीकरण पाने के हकदार हैं और मृत्यु, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति और वीआरएस के कारण सेवा बंद होने पर शेष छुट्टी या 150 दिन जो भी कम हो, नकदीकरण के लिए अनुमत है। इसलिए, अर्जित छुट्टी के लिए देनदारियों का निपटान सेवा के दौरान और साथ ही कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद भी होने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके लाभों को छूट दी जाती है, जिनकी शर्तें संबंधित दायित्व की शर्तों के करीब होती हैं। इस योजना का वित्तपोषण भारतीय जीवन बीमा निगम की योग्य बीमा पॉलिसियों द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

बी) जीवन कवर योजना (एलसीएस)

सामाजिक सुरक्षा योजना के एक भाग के रूप में, समूह के पास एक जीवन बीमा योजना है जिसे "कोल इंडिया लिमिटेड की जीवन बीमा योजना" (LCS) के रूप में जाना जाता है, जो सभी कार्यकारी और गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को कवर करती है। सेवा में मृत्यु के मामले में, 01.10.2017 से योजना के तहत नामांकित व्यक्तियों को 1,56,250 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब पहचानी जाती है जब कोई घटना घटित होती है जिसके कारण योजना के तहत देय लाभ होता है।

सी) निपटान भत्ते

वेतन समझौते के एक हिस्से के रूप में, एनसीडब्ल्यूए के तहत शासित सभी गैर-कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को 31.10.2010 को या उसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति पर सेटलमेंट-इन भत्ते के रूप में 12000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की जाती है।

डी) समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने सीआईएल समूह के अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना से बचाने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से समूह बीमा योजना ली है, जिसे "कोल इंडिया एग्जीक्यूटिव्स ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम" (जीपीएआईएस) के नाम से जाना जाता है। जीपीएआईएस दुनिया भर में 24 घंटे के आधार पर सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को कवर करता है। इस योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान सीआईएल द्वारा किया जाता है।

ई) यात्रा भत्ता योजना

वेतन समझौते के एक भाग के रूप में, गैर-कार्यकारी कर्मचारी 4 वर्ष के ब्लॉक में एक बार अपने गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृह नगर और "भारत भ्रमण" के लिए क्रमशः 10000/- रुपये और 15000/- रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के लिए देयता को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

एफ) खदान दुर्घटना में कामगारों को मिलने वाला मुआवजा लाभ

वेतन समझौते के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 1923 के तहत स्वीकार्य लाभ प्रदान करती है। घातक खदान दुर्घटना के मामले में 07.11.2019 से कर्मचारी के परिजनों को 15 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, 01.06.2023 से मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में ₹ 90,000/- की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। लाभ की अपेक्षित लागत तब पहचानी जाती है जब कोई घटना घटती है जिसके कारण योजना के तहत लाभ देय होता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं की वित्तपोषण स्थिति निम्नानुसार है:

(i) वित्त पोषित

- ग्रेच्युटी
- छुट्टी भुनाना
- सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ – कार्यकारी (सीपीआरएमएसई)
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ – गैर कार्यकारी (सीपीआरएमएस-एनई)

(ii) वित्तविहीन

- जीवन कवर योजना
- निपटान भत्ता
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- अवकाश यात्रा रियायत
- खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

7 **अन्य सूचना**

क) सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी का मुख्य व्यवसाय कोयला खनन और उससे संबंधित सेवाएँ हैं। समूह की सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इस प्रकार, कंपनी के लिए कोई अलग से रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

ख) प्रति शेयर आय

क्र.सं.	विवरण	31.03.2025	31.03.2024
i)	इक्विटी शेयरधारकों को देय कर के बाद शुद्ध लाभ		
ii)	बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या		
iii)	रुपये में प्रति शेयर मूल और तनु आय (अंकित मूल्य ₹____/- प्रति शेयर)		

(c) **बीमा और वृद्धि दावे**

बीमा और वृद्धि दावों का लेखा प्रवेश/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

(e) **चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम आदि।**

सामान्य व्यवसाय क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

(f) **शेष राशि की पुष्टि**

कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, समाधान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ईमेल भी आवधिक आधार पर भेजे जाते हैं। ऐसी कुछ शेष राशियाँ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। यदि कोई समायोजन होता है, तो उसकी पुष्टि/समाधान के समय उसका हिसाब लगाया जाएगा और परिणामों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

f) **बेनामी संपत्ति:**

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ या लंबित नहीं है।

g) **बैंकों या वित्तीय संस्थाओं द्वारा भरे गए रिटर्न या विवरण:**

कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास दाखिल तिमाही रिटर्न/चालू परिसंपत्तियों का विवरण सामान्यतः लेखा पुस्तकों के अनुरूप होता है।

h) **जानबूझकर चूककर्ता:**

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

i) **हटाई गई कम्पनियों के साथ संबंध:**

कंपनी ने हटाई गई कंपनियों के साथ कोई भी महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है।

j) **कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्क का पंजीकरण या संतुष्टि:**

कंपनी द्वारा वैधानिक अवधि से परे कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए कोई शुल्क या संतुष्टि लंबित नहीं है।

k) **कंपनियों की कई परतों का अनुपालन:**

कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

m) **व्यवस्था की अनुमोदित योजना(यों) का अनुपालन:**

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई।

n) **उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग:**

(ए) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी इकाई (मध्यस्थ) को कोई फंड अग्रिम या ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए पक्ष (अंतिम लाभार्थी) को उधार देगा या निवेश करेगा। (बी) कंपनी ने इस समझ के साथ किसी भी पार्टी से कोई फंड प्राप्त नहीं किया है कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगी।

o) **क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

p) **अघोषित आय:**

कंपनी का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(रु. लाख में)

विघटित राजस्व जानकारी:	31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए
वस्तुओं या सेवाओं के प्रकार		
- शक्ति		
- अन्य		
बिजली और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		
ग्राहकों के प्रकार		
- विद्युत क्षेत्र		
- गैर-विद्युत क्षेत्र		
- **अन्य या सेवाएँ**		

बिजली और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		
अनुबंध के प्रकार		
- अन्य		
बिजली और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		
माल या सेवा का समय		
- किसी समय पर हस्तांतरित माल 120.82		
- समय के साथ हस्तांतरित माल		
- किसी समय पर हस्तांतरित सेवाएँ		
- समय के साथ हस्तांतरित सेवाएँ		
- समय के साथ हस्तांतरित सेवाएँ		
बिजली और अन्य की बिक्री से कुल राजस्व		

h) **अनुपात**

विवरण	31-03-2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए	परिवर्तन
(ए) चालू अनुपात: चालू अनुपात किसी कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को दर्शाता है। इसका व्यापक रूप से बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के बारे में निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।	0.0	22.9547	-100%
(बी) ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण-से-इक्विटी अनुपात कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। ये दोनों संख्याएँ कंपनी की बैलेंस शीट में पाई जा सकती हैं। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।	0.0000	0.0000	0%
(सी) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किस्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन जैसे गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि। ऋण सेवा = ब्याज और लीज़ भुगतान + मूलधन चुकौती कर के बाद शुद्ध लाभ का अर्थ है अवधि के लिए लाभ / (हानि) की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की मदें शामिल नहीं हैं।	0.0000	0.0000	0%
(डी) इक्विटी पर रिटर्न अनुपात: यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। यह अनुपात बताता है कि कंपनी द्वारा इक्विटी धारकों के फंड की लाभप्रदता का किस तरह उपयोग किया गया है। यह इक्विटी धारकों को मिलने वाले प्रतिशत रिटर्न को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ में से वरीयता लाभांश (यदि कोई हो) घटाया जाता है) को औसत शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित किया जाता है	0.0163	0.0294	-45%
(ई) इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात: इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत या अवधि के दौरान बिक्री और अवधि के दौरान रखी गई औसत इन्वेंट्री के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत को औसत इन्वेंट्री से विभाजित करके की जाती है। औसत इन्वेंट्री (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) है जब इन्वेंट्री के प्रारंभिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना इन्वेंट्री के समापन शेष द्वारा COGS या बिक्री को विभाजित करके की जा सकती है।	0.0000	0.0000	0%
(एफ) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्य का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य खाते शुद्ध क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाया जाता है। व्यापार प्राप्य में विविध देनदार और बिल प्राप्य शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों की क्रेडिट बिक्री, आरंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल बिक्री को व्यापार प्राप्य के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।	0.0000	0.0000	0%
(जी) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात: यह दर्शाता है कि किसी अवधि के दौरान विविध लेनदारों को कितनी बार भुगतान किया गया है। विविध लेनदारों को भुगतान करने के लिए नकदी की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए इसकी गणना की जाती है। इसकी गणना शुद्ध ऋण खरीद को औसत लेनदारों से विभाजित करके की जाती है। व्यापार देय टर्नओवर अनुपात = शुद्ध ऋण खरीद / औसत व्यापार देय शुद्ध ऋण खरीद में सकल ऋण खरीद में से खरीद रिटर्न घटाया जाता है जब ऋण खरीद, व्यापार लेनदारों के आरंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल खरीद को व्यापार लेनदारों के समापन शेष से विभाजित करके की जाती है।	0.0000	0.0000	0%

(h) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात: यह कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को दर्शाता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाकर की जाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों में से चालू देनदारियों को घटाकर की जाएगी।	0.0000	0.0000	0%
(i) शुद्ध लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद होगा। शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी।"	0.0000	0.0000	0%
(j) नियोजित पूंजी पर रिटर्न: नियोजित पूंजी पर रिटर्न कंपनी के प्रबंधन की ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उतनी ही कुशलता से पूंजी का उपयोग किया जाएगा। आरओसीई = ब्याज और करों से पहले की कमाई / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.0252	0.0418	-40%
(k) निवेश पर प्रतिफल (संदर्भ: नोट-7): निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा।			
(i) असूचीबद्ध सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: उप-सूचीबद्ध कंपनियों की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।	0.0000	0.0000	0%
(ii) संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश पर ROI: ROI = प्राप्त लाभांश / संयुक्त उद्यम की इक्विटी में औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(iii) निश्चित आय निवेश (बॉन्ड/डिबेंचर आदि) पर ROI = ब्याज आय/ औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(iv) म्यूचुअल फंड पर ROI = लाभांश+पूंजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(v) जमा पर ROI (बैंकों, वित्तीय संस्थाओं सहित ICDs के साथ) = ब्याज आय/ औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%

9 **विविध जानकारी"**

वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू नवीनतम लेखांकन घोषणाएँ

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 में कई संशोधन जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले विभिन्न भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) में महत्वपूर्ण बदलाव पेश करते हैं। इन संशोधनों में Ind AS 117 की शुरूआत शामिल है - Ind AS 101, 103, 105, 107, 109, 115 में परिणामी संशोधनों के साथ बीमा अनुबंध; Ind AS 116 में संशोधन - कुछ बीमाकर्ताओं के लिए पट्टे और Ind AS 104 की निरंतरता। कंपनी ने इन संशोधनों का मूल्यांकन किया है और पाया है कि इसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

ii. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

iii. नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 11 बैलेंस शीट का हिस्सा बनते हैं और 12 से 13 लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा बनते हैं। नोट - 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट 1 से 16 तक हस्ताक्षर।

बोर्ड की ओर से

8 **विविध जानकारी**

i. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है, ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।

ii. नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 11 बैलेंस शीट का हिस्सा हैं और 12 से 13 लाभ और हानि विवरण का हिस्सा हैं। नोट - 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट 1 से 16 तक हस्ताक्षर।

बोर्ड की ओर से

ह/-	**ह/-**	**ह/-**
(एम.के.तिवारी)	**(बी.नायक)**	**(आर.के.जैन)**
कंपनी सचिव	मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(जे. के. बोरा)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09632444

दी गई तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार।
मेसर्स एसएबीडी एंड एसोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

दिनांक: 09.04.2025
स्थान: संबलपुर

ह/-
सीए बसंत गोयल
साझेदार
(सदस्यता संख्या. 505314)
फर्म पंजीकरण संख्या - 020830 न

एमएनएच शक्ति लिमिटेड

(महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की सहायक कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय:

आनंद विहार, पोस्ट– जागृति विहार, संबलपुर, ओड़िशा, 768020